उ0प्र0 में ई-प्रोक्योरमेंट

- मार्गदर्शिका

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

अनुक्रमणिका

	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उठाये गये कदम	1
	प्रदेश में उन्मुक्त डिजिटल क्रांति	2
अध्याय 1:	**ई–प्रोक्योरमेण्ट**	**8**
1.1	परिचय	8
1.2	ई–प्रोक्योरमेण्ट क्या है ?	9
1.3	ई–प्रोक्योरमेण्ट की शब्दावली	9
1.4	ई–प्रोक्योरमेण्ट के प्रमुख रूप	10
1.5	ई–निविदा (e-Tendering) क्या है ?	10
1.6	ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आपूर्तिकर्ता कौन–कौन से कार्य कर सकते हैं?	11
1.7	ई–टेण्डर्स के स्रोत क्या हैं ?	11
1.8	डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature)	11
1.9	ई–रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)	11
1.10	ई–कोडिंग	11
1.11	यह कितना सुरक्षित है ?	12
1.12	सुरक्षा आडिट व्यवस्था	12
1.13	सूचना का कोड स्वरूप में संरक्षण (Data Encryption)	12
1.14	सिक्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटर (Secured Administrator)	12
1.15	प्रक्रिया की विधि मान्यता	12
1.16	एस.एस.एल. प्रमाण–पत्र	12
1.17	अनधिकृत प्रवेश	13
1.18	ई–प्रोक्योरमेण्ट के विभिन्न आयाम	13
अध्याय 2:	**प्रौद्योगिकी की भूमिका**	**15**
अध्याय 3:	**बिजनेस प्रक्रिया का पुनर्निमाण**	**17**
3.1	ई–प्रोक्योरमेण्ट के लिए पुनर्संरचना	17
3.2	अन्य राज्यों से शिक्षा	18
अध्याय 4:	**परिवर्तन–प्रबन्धन (Change Management)**	**20**
4.1	ई–प्रोक्योरमेण्ट की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम	20
4.2	उच्च–स्तरीय राजनीतिक समर्थन	21
4.3	जन सहभागिता द्वारा परिवर्तन	22
4.4	ई–प्रोक्योरमेण्ट परिपालन	23

अध्याय 5: ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यान्वयन की रणनीति के अंग **24**

5.1 ई–प्रोक्योरमेण्ट (आपूर्ति) कार्यान्वयन नीति **24**

5.2 ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया **24**

5.3 ई–प्रोक्योरमेण्ट द्वारा कारोबार को गति **25**

5.4 ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यान्वयन – रणनीति **25**

5.5 एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) की भूमिका **25**

5.6 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 (UPLC) की भूमिका **25**

5.7 सम्बन्धित विभागों की भूमिका **26**

अध्याय 6: निविदादाताओं एवं अधिकारियों के उपयोगार्थ महत्वपूर्ण निर्देश **27**

अध्याय 7: अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question) **28**

अध्याय 8: डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question) **34**

अध्याय 9: टेण्डर कियेशन के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question) **37**

अध्याय 10: बिड ओपनर के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question) **39**

आमुख

ई–गवर्नेन्स, शासकीय कार्यप्रणालियों में सुधारों को नया स्वरूप देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य नागरिकों तथा विभिन्न उद्यमों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपेक्षित सूचनायें त्वरित गति से उपलब्ध कराई जाती हैं। ई–गवर्नेन्स के मूल में है सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग मात्र प्रासंगिक है, ई–गवर्नेन्स का वास्तविक अर्थ समझने हेतु सामान्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु सहायक सिद्ध हो सकते हैं :–

- ई–गवर्नेन्स का तात्पर्य ''ई'' से न होकर, शासकीय कार्यप्रणाली से है।
- ई–गवर्नेन्स कम्प्यूटरों से नहीं, नागरिकों से सम्बन्धित है।
- ई–गवर्नेन्स का उद्देश्य मौजूदा प्रक्रियाओं को रूपान्तरित करना नहीं, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता को एक नया स्वरूप प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश में ई–गवर्नेन्स की परिकल्पना को, संक्षेप में, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है:

''सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यमों द्वारा जनसामान्य के सशक्तीकरण हेतु उसे सुगमता से सूचनायें उपलब्ध कराना तथा प्रक्रियाओं को नया स्वरूप देना जिससे जनसामान्य को बेहतर सेवायें प्रदान की जा सकें। और राज्य के आर्थिक विकास का माध्यम बन सकें।''

राज्य सरकार ने अपनी परिकल्पना की व्याख्या में ई–गवर्नेन्स के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से इस प्रकार परिभाषित किया है:

- ❖ **जन सामान्य का सशक्तीकरण** : विभिन्न सरकारी माध्यमों जिनमें सरकारी विभाग, निगम तथा अन्य संस्थायें सम्मिलित हैं, द्वारा प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित पूरी जानकारी नागरिकों को सहज ही सुलभ होनी चाहिए। इस प्रकार शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी होगा।
- ❖ **बेहतर सेवा** : जो सेवायें प्रदान की जा रही हैं उनके विषय में पूरी जानकारी आसानी से नागरिकों की पहुँच के अन्दर होनी चाहिए। साथ ही उन्हें इस बात की भी आजादी होनी चाहिये कि किसी भी अन्य माध्यम से वे समानस्तर, गुणवत्ता और सुरक्षा की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें।
- ❖ **आर्थिक विकास** : यह आवश्यक है कि देश के उद्यमी उत्तर प्रदेश को अपनी पहली पसंदीदा मंजिल बनायें। नागरिकों के सामान्य जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उठाये गये कदम

उत्तर प्रदेश की व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। प्रदेश के कुशल कारीगरों एवं व्यापारियों के समन्वय ने प्रदेश की अनेक हस्तशिल्प कलाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई है। प्रदेश की अपनी विशिष्ट परंपराओं एवं क्षमताओं के कारण अनेक लघु उद्योगों के माध्यम से निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। **आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीक, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए उ0प्र0 शासन प्रतिबद्ध है तथा प्रदेश के उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान एवं उनके कार्य–विस्तार के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेगी।** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन को त्वरित–संवेदनशील, पारदर्शी, समस्या–मुक्त तथा सरल और सुगम बनाने के साथ–साथ शासकीय अकुशलता तथा खर्च कम करने हेतु भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है।

प्रदेश में युवाओं के लिये रोजगार के ऐसे अवसरों का निर्माण किया जा रहा है जिससे वे अपने गाँव, कस्बे और शहर में जीवन के विकास की नई ऊँचाईयों को छू सकेंगे।

- ₹ एक हजार करोड़ के स्टार्ट–अप वेंचर कैपिटल फण्ड की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी में स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया जायेगा।
- देश का सबसे बड़ा स्टार्ट–अप इन्क्यूबेटर राज्य में स्थापित किया जायेगा।
- प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जो आई0टी0, बी.पी.ओ., लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन आदि जैसे कौशल (स्किल) पर केन्द्रित होंगे।
- इन केन्द्रों पर युवाओं को प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में प्रवेश लेने पर बिना जाति और धर्म के भेद–भाव के मुफ्त लैपटॉप दिया जायेगा।
- राज्य के सभी युवाओं को कॉलेज में प्रवेश लेने पर स्वामी विवेकानन्द युवा इन्टरनेट योजनान्तर्गत प्रतिमाह 01 जी.बी. इन्टरनेट मुफ्त दिया जायेगा, इत्यादि।

डिजिटल उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में उन्मुक्त डिजिटल क्रांति
(Unleashing Digital Revolution in Uttar Pradesh)

राज्य में डिजिटल क्रांति को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश – डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने तथा "डिजिटल रूप से सशक्त" बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण विकास पहल की जा रही हैं। इसमें सबसे उल्लेखनीय पहल सभी सरकारी विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली को लागू करना है। ई–निविदा का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और सुरक्षा लाना है। यह खरीद प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखता है जिससे ये गैर निष्पादन की संभावना को समाप्त कर दे। इसके द्वारा निष्पक्ष और स्वस्थ भागीदारी के माध्यम से पक्षों को प्रतिभाग करने में पारदर्शिता आएगी।

ई–निविदा की मुख्य कार्यात्मक इकाईयाँ : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों एवम् निविदादाताओं की भिन्न–भिन्न भूमिकाएँ, निविदा निर्माण एवम् प्रकाशन, प्री–बिड मीटिंग एवम् शुद्धिपत्र का प्रकाशन, ऑनलाइन निविदा जमा करना/ पुनः जमा करना/ आवश्यकतानुसार पंजीकरण (जो कि विन्यास के योग्य है), आनलाइन निविदा खोलना एवम् बिड डिकोड (Decode) करना इत्यादि है।

उत्तर प्रदेश, डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए अग्रणी रहा है। निःशुल्क लैपटॉप और मुफ्त वाई–फाई के वितरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना तथा डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क और आईटी शहरों का विकास राज्य में नागरिकों के लिए विश्वस्तरीय आईटी संरचना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करके डिजिटल उद्धरण बढ़ाने के लिए परिकल्पना की गई है। इसके अलावा राज्य में युवाओं के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना तथा स्टार्ट–अप नीति को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेटर और उत्कृष्टता के केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में युवाओं की प्रगतिशील आकांक्षाओं को महत्व देना है।

उत्तर प्रदेश, डिजिटल क्रांति को शुरू करने के लिए लम्बी छलांग लगा रहा है तथा यह विभिन्न हितधारकों के माध्यम से डिजिटल क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है। एक साझा और सहयोगी दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को डिजिटल विकास में अग्रणी रखने हेतु सक्षम बनाता है। यह नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए समग्र विकास लाने में अहम भूमिका निभाएगा।

उ0प्र0 सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिये प्रशासनिक सुधारों के अन्तर्गत सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिये ई–टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में:–

1. उ0प्र0 में ई–टेण्डरिंग योजना लागू करने के लिये मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 02 मई 2017 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।
2. ई–प्रोक्योरमेण्ट योजना को अग्रगामी रूप से समस्त विभागों में कार्यान्वित करने के लिये शासनादेश संख्याः–1067/78–2–2017–42आईटी/2017 दिनांक 12 मई 2017 जारी किया गया।

संख्या 1067 / 78–2–2017–42आईटी / 2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉकः 12 मई 2017

विषय : शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना।

महोदय / महोदया,

नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग, उद्योग निदेशालय, विश्व बैंक पोषित / वाह्य सहायतित सभी परियोजनाओं में पायलट परियोजना के रूप में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई थी। कतिपय अन्य विभागों में भी ई–टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं / जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्लेटफार्म https:// etender. up. nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं / जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate contract) हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3 प्रदेश में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी होगी तथा ई–टेण्डरिंग करने वाले विभागों / उपक्रमों इत्यादि को एन.आई.सी.,

लखनऊ तथा यूपीएलसी द्वारा आवश्यकतानुसार हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी। ई–टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरण इत्यादि एन.आई.सी. को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार अन्य हार्डवेयर उपकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4 ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों एवं प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु वर्तमान नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) एवं तत्सम्बन्धी, अन्य नियम उक्त श्रेणियों की ई–टेण्डरिंग में यथावत् लागू रहेंगे एवं इनमें प्रचलित पेपर ट्रांजेक्शन के स्थान पर मात्र इलेक्ट्रानिक माध्यम का प्रयोग करते हुए निविदा प्रक्रिया, ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा निम्नवत् की जायेंगीः–

- जिन निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate contract) हेतु निविदा प्रक्रिया मैनुअल विधि से सम्पादित की जाती है, उन निविदाओं को ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से कराया जाना प्रत्येक विभाग के लिए अनिवार्य होगा।
- ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा– ई–रजिस्ट्रेशन, ई–कोडिंग, टेण्डर क्रियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर परचेज, सबमिशन, बिड ओपनिंग आदि समस्त कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जायेंगे।
- सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिए अलग–अलग ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने के स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफॉर्म http://etender.up.nic.in पर ई–प्रोक्योरमेण्ट किया जायेगा।
- ई–प्रोक्योरमेण्ट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का दायित्व एन.आई.सी. का होगा।

5 टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (बिडर्स), आपूर्तिकर्ताओं (वेण्डर्स), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। यूपीएलसी द्वारा बिडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स को उनके कम्प्यूटर/लैपटॉप पर ई–टेण्डर सम्बन्धित सॉफ्टवेयर अपलोड कराकर ई–टेण्डर हेतु तैयार किया जाना, टेण्डर डाउनलोड, टेण्डर सबमिशन, मॉक ई–टेण्डर सबमिशन द्वारा ई–टेण्डर प्रणाली पर कार्य करना इत्यादि के प्रयोग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई–टेण्डर का विकास, बीओक्यू

(बिल ऑफ क्वान्टिटी) तैयार किया जाना, टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, टेण्डर ईवैल्यूवेशन इत्यादि का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

6 ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डर करने वाले विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन शुल्क, निविदा शुल्क एवं वेण्डर/कान्ट्रैक्टर द्वारा देय पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार देय होगाः–

- प्रत्येक विभाग द्वारा केवल एक बार रू 5000.00 + अनुमन्य सर्विस टैक्स, कस्टमाइजेशन शुल्क के रूप में नोडल संस्था– यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- निविदा शुल्क के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक टेण्डर हेतु, टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत – न्यूनतम रू 250.00 तथा अधिकतम रू 5000.00 (सर्विस टैक्स सहित) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स द्वारा प्रथम बार रू 6000.00 (सर्विस टैक्स सहित) शुल्क यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देकर, प्रथमतः उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके आधार पर वे दो वर्ष तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के श्रेणीवार अनुमन्यता के आधार पर सभी टेण्डर में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु शुल्क मात्र रू 3000.00 (देय कर अतिरिक्त) प्रति दो वर्ष हेतु मान्य होगा।
- ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स तथा विभागीय अधिकारियों एवं टेण्डर समिति के सदस्यों को रू 1708.00 (समस्त करों सहित) प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क जमाकर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने होंगे। डिजिटल सिग्नेचर दो वर्ष के लिए वैध होंगे। ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर विभागीय अधिकारियों/निविदादाताओं द्वारा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत एन.आई.सी–नई दिल्ली, टीसीएस–मुम्बई, सेफ–स्क्रिप्ट–चेन्नई, आई.डी.आर.बी.टी., (एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई–मुद्रा, सी–डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि., एन.एस.डी. एल. टेक्नोलोजी, जी.एन.एफ.सी. आदि सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

7 उक्त कार्यों हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को मात्र उक्त कार्यों के सापेक्ष पंजीकरण शुल्क, कस्टमाइजेशन शुल्क एवं निविदा शुल्क उक्त सुविधाओं के एवज में उपलब्ध होगी।

8 प्रत्येक विभाग द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेण्डरिंग किये जाने हेतु विभाग में आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, न्यूनतम 512 केबीपीएस ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन तथा वॉछनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड

कराना होगा। सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण करा ली जायें। निविदा शुल्क (Tender Fees) के भुगतान तथा धरोहर राशि (Earnest Money) के भुगतान एवं वापसी की प्रक्रिया भी भौतिक रूप (Physical Form) में न करके ऑनलाईन व्यवस्था ही सुनिश्चित की जाये।

9 सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करके ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये।

10 यदि विभाग द्वारा ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने में कठिनाई अनुभव की जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रणाली को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करने होंगे।

11 जिन विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/स्वायतशासी निकायों तथा संस्थाओं द्वारा अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली आकस्मिकता/तात्कालिक प्राथमिकता के दृष्टिगत जनहित में पूर्व में टेण्डर संबंधित निर्देश/शासनादेश निर्गत किये गये हैं, उन सभी पर, उस सीमा तक, इस ई–टेण्डर संबंधित शासनादेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12 प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों तथा समस्त ग्राम पंचायतों में ई–टेण्डरिंग संबंधी आवश्यक अवस्थापना/आधारभूत सुविधायें मानव संसाधन तकनीकी ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था होने के उपरान्त ही, ई–टेण्डर संबंधी शासनादेश को प्रभावी करने हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर से तद्नुसार निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या 1067(1)/78–2–2017 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4 निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
5 निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
7 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
9 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
10 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
11 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ
12 राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।
13 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
14 महालेखाकार, लेखा परीक्षा–प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
15 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
16 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

अध्याय 1: ई–प्रोक्योरमेण्ट

1.1 परिचय

ई–प्रोक्योरमेण्ट (इलेक्ट्रानिक/इन्टरनेट के माध्यम से सामग्री क्रय) के अन्तर्गत एक व्यापारिक संस्था सीधे दूसरी व्यापारिक संस्था से व्यवसाय से व्यवसाय (business to business) इन्टरनेट तथा अन्य सूचना नेटवर्किंग प्रणालियों जैसे इलेक्ट्रानिक डेटा इन्टरचेन्ज (EDI) अथवा उद्यम स्रोत नियोजन (Enterprise Resource Planning) के माध्यम से बी–टू–बी सम्पर्क बनाकर सामग्री क्रय तथा सेवाओं को प्राप्त करती हैं।

ई–प्रोक्योरमेण्ट की बी–टू–बी साइट्स में कभी–कभी अन्य शब्दावली का भी प्रयोग होता है जैसे Supplier Exchange (पूर्ति विनिमय)। सामान्यतः ई–प्रोक्योरमेण्ट वेबसाइट पर अर्हता–प्राप्त एवं पंजीकृत इकाइयों को ही सामग्री तथा सेवाओं की खोजबीन की सुविधा मिली होती है। अपने–अपने दृष्टिकोण के अनुसार खरीदने और बिक्री करने वाले मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं या फिर नये क्रय–विक्रय का विकल्प ले सकते हैं। वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित की जा सकती है और उनका मूल्यॉकन किया जा सकता है। क्रय प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को मितव्ययी/प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य प्राप्त होते हैं। ई–प्रोक्योरमेण्ट से सम्बन्धित कुछ मामलों में स्वचालित क्रय–विक्रय भी सम्भव है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली कम्पनियॉ कल–पुर्जों की सूची बनाने, उनके भण्डारण, क्रय–विक्रय के लिए बिचौलियों पर होने वाले व्यय में कमी और उत्पादन चक्र पर वे अधिक प्रभावी नियंत्रण रख सकेंगी। सम्भावना है कि ई–प्रोक्योरमेण्ट को आज की प्रवृत्ति के अनुसार कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति प्रबन्धन की कड़ी (Computerised Supply Chain Management) में समेकित कर दिया जायेगा।

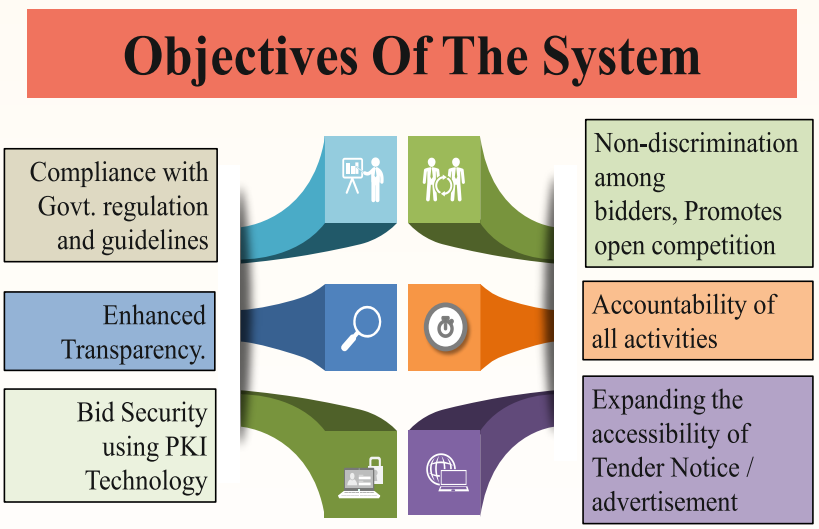

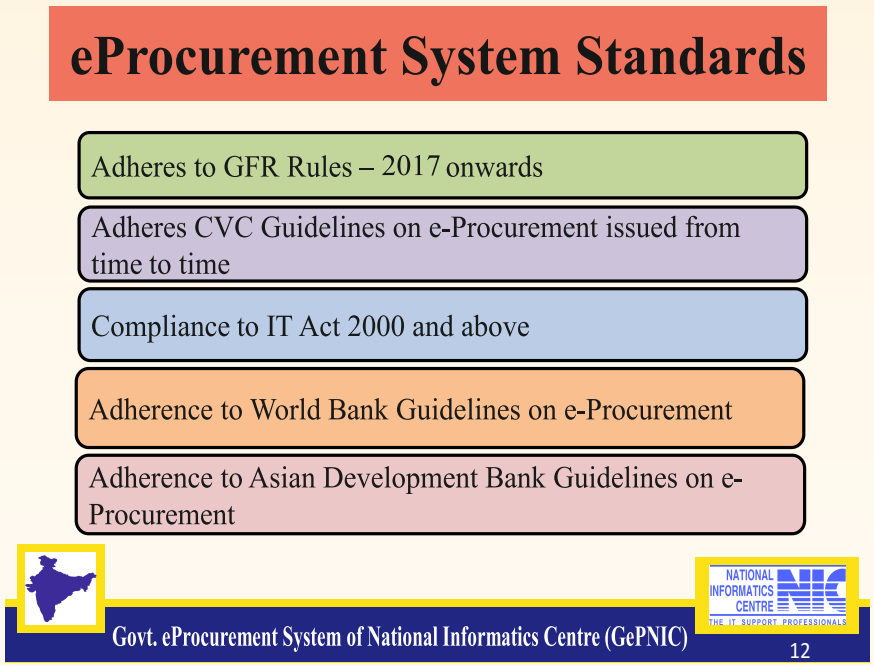

1.2 ई–प्रोक्योरमेण्ट क्या है ?

यह इन्टरनेट के प्रयोग द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय की प्रक्रिया है। इसमें,

- आदि से अन्त तक समस्त क्रिया प्रक्रिया (और प्राप्त किये माल) की जानकारी पूर्णतः सुरक्षित रहती है।
- इलेक्ट्रानिक माध्यम से निविदा, वस्तु सूची, अनुबन्ध क्रयादेश तथा बीजक के मामलों में यह क्रेता तथा विक्रेता के बीच एक इण्टरफेस का काम करता है जिससे कि क्रेता तथा विक्रेता सुरक्षित तरीके से आदान–प्रदान कर सकें।
- इन्टरनेट के प्रयोग से यह परम्परागत निविदा प्रणाली को एक इलेक्ट्रानिक स्वरूप प्रदान करता है।
- इसमें अनुबन्ध एवं अनुबन्ध के बाहर की खरीद भी सम्मिलित होती है।
- इसमें और भी अनेक लीक से हटकर तरीके होते हैं जैसे RFP (आर.एफ.पी.), दरों की सूची, नीलामी, उल्टी नीलामी आदि।

1.3 ई–प्रोक्योरमेण्ट की शब्दावली

- **RFI-** सूचना के लिये अनुरोध (Request for Information)
- **RFP-** प्रस्ताव के लिये अनुरोध (Request for Proposal)
- **RFQ-** वस्तु किस दर पर उपलब्ध होगी, इसके लिये अनुरोध (Request for Quotation)
- **RFx-** उपरोक्त तीनों अनुरोध (एक साथ)
- **eRFx- RFx** परियोजनाओं के प्रबन्धन के लिये सॉफ्टवेयर की अपेक्षा इत्यादि।

1.4 ई–प्रोक्योरमेण्ट के प्रमुख रूप

ई–प्रोक्योरमेण्ट के निम्नलिखित मुख्य रूप होते हैं:–

- **वेब आधारित ERP (Enterprise Resource Planning)** साफ्टवेयर प्रणाली जो कि इन्टरनेट के माध्यम से सामग्री / सेवाओं की खरीद / प्राप्त करने के लिए मॉग–पत्र तैयार कर उसकी स्वीकृति लेना, सामग्री / सेवाओं के लिये आदेश देना तथा सामग्री एवं सेवाओं को प्राप्त करना।
- **ई–एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair and Operating)** यह भी ERP की भॉति है सिवाय इसके कि जिन सामग्रियों और सेवाओं के लिए आदेश दिया जाता है वे सेवायें, उत्पाद से सम्बन्धित नहीं होती हैं।
- **ई–सोर्सिंग (e-sourcing)** इन्टरनेट प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा कुछेक विशेष श्रेणियों की सामग्री की खरीद के लिए नये आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित करना।
- **ई–टेण्डरिंग** इन्टरनेट प्रौद्योगिकी के द्वारा (निविदा हेतु) आपूतिकर्ताओं से जानकारी और मूल्यों की सूचना प्राप्त करना तथा उनके प्रतिवचन का आकलन।
- **ई–इन्फार्मिंग** इन्टरनेट टेक्नोलाजी द्वारा घरेलू तथा विदेशी, सभी स्रोतों से क्रय सम्बन्धी जानकारी एकत्र करना और उसका वितरण करना।

1.5 ई–निविदा (e-Tendering) क्या है ?

इलेक्ट्रानिक निविदा भी परम्परागत टेण्डर प्रक्रिया ही है सिवाय इसके कि उसका स्वरूप इलेक्ट्रानिक हो जाता है क्योंकि यह इन्टरनेट के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया है। ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निम्नवत् कार्य किये जा सकते हैं:–

- टेण्डर आमन्त्रण से पूर्व, अनुमोदन प्रक्रिया का सम्पादन
  - ➢ आन–लाइन क्रेता अनुरोध / आवश्यकता के अनुसार सामग्री की मांग (इण्डेण्ट जनरेशन)
  - ➢ निविदा प्रस्ताव तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण सामान्य नियम एवं शर्तों का निर्धारण
- निविदा आमंत्रण हेतु सूचना का प्रकाशन (Notice for Inviting Tender)
- प्री–बिड कान्फ्रेंन्स
- निविदा की आन–लाइन प्रस्तुति / प्राप्ति
- निविदा खोला जाना एवं उसका मूल्यॉकन
  - ➢ सुरक्षित निविदा खोला जाना
  - ➢ तकनीकी निविदा मूल्यॉकन
  - ➢ वित्तीय निविदा मूल्यॉकन
  - ➢ आन–लाइन तुलनात्मक सारणी

- कार्यादेश प्रदान किया जाना
  - ➢ नियत अवधि हेतु रेट कान्ट्रैक्ट / एम्पैनलमेण्ट
  - ➢ क्रयादेश / कार्यादेश निर्गत करना

1.6 ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आपूर्तिकर्ता कौन–कौन से कार्य कर सकते हैं ?

ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आपूर्तिकर्ता निम्न कार्य कर सकते हैं:–

- अपेक्षित निविदाओं की अधिसूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- निविदा प्रपत्र खरीद सकते हैं।
- इन्टरनेट के माध्यम से निविदायें 'आनलाइन' प्रस्तुत कर सकते हैं।
- अपनी निविदाओं के विषय में जानकारी ले सकते हैं।

1.7 ई–टेण्डर्स के स्रोत क्या हैं ?

विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा ई–टेण्डर की प्रणाली का उपयोग करते हुए निविदाओं को प्रकाशित किया जायेगा और सम्बन्धित विभाग तद्नुसार:–

- आवश्यकता के अनुरूप सामग्री हेतु मॉग पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- मॉग पत्र को 'आन लाइन' स्वीकृति दे सकेंगे।
- टेण्डर का सृजन कर सकेंगे।
- टेण्डर को अनुमोदित कर सकेंगे एवं
- टेण्डर को 'आन लाइन' प्रकाशित कर सकेंगे।

1.8 डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अन्तर्गत, ई–कामर्स के समस्त कार्यकलापों हेतु 128 बिट अथवा 256 बिट एस.एस.एल. तथा डिजिटल सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है तथा किसी भी इलेक्ट्रानिक दस्तावेज की कानूनी वैधता के लिए आवश्यक है कि उस पर डिजिटल हस्ताक्षर हो, जो किसी भी लाइसेंसशुदा प्रमाण पत्र प्रदाता इकाई द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं जिन्हें कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफइंग एजेन्सी का अनुमोदन प्राप्त हो।

1.9 ई–रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)

सभी निविदादाताओं को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त तथा निविदा प्रस्तुति करने से पूर्व आई.डी. एवं पासवर्ड इत्यादि उपयोग करने से पहले, इलेक्ट्रानिक प्रणाली से ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उसके पश्चात ही वह ई–टेण्डर पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होगा।

1.10 ई–कोडिंग

टेण्डर में दी गई समस्त जानकारियों को एक कोड में परिवर्तित (Encrypted) कर दिया जाता है और

कोई भी निविदादाता व्यक्तिगत रूप से निर्धारित समय पर अथवा तिथि के पश्चात ही लाग इन (login) पर अपनी पहचान के बाद सूचना–कोड को भेद (Decrypt) सकता है।

1.11 यह कितना सुरक्षित है ?

ई–टेण्डरिंग सॉफ्टवेयर में विभिन्न सुरक्षा उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति 'लाग–इन' की गई जानकारी तक न पहुँच सके। समस्त सूचनायें सुरक्षित गोपनीय कोड में परिवर्तित कर दी जाती है और किसी आकस्मिक अथवा आपातकालीन स्थिति में भी प्रणाली को अल्प समय में ही पुनः क्रियारत किया जा सकता है।

1.12 सुरक्षा आडिट व्यवस्था

विभिन्न कार्यकलाप तथा उनमें किये गये परिवर्तन, संशोधन, सुधार आदि कोड में परिवर्तित कर दिये जाते हैं और उसका एक ब्यौरा (log report) सम्बन्धित व्यक्तियों को उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही डेटा बेस स्तर के कार्यकलाप भी 'लाग' में उपलब्ध रहते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक स्तर पर, अप्लीकेशन से लेकर डेटा बेस तक, कड़ी निगरानी की व्यवस्था रहती है।

1.13 सूचना का कोड स्वरूप में संरक्षण (Data Encryption)

समस्त निविदा सूचनाओं को 128 बिट अथवा 256 बिट एस.एस.एल. कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है और निविदा के प्रत्युत्तर में प्राप्त वित्तीय मूल्यों को कोड में परिवर्तन करने के पश्चात सिस्टम डेटाबेस में संरक्षित कर दिया जाता है। साथ ही सभी आपूर्तिकर्ताओं एवं निविदा प्रक्रिया से सम्बद्ध व्यक्तियों के लाग–इन पासवर्ड (पहचान का संकेत) डेटाबेस में कोड के रूप में डाल दिये जाते हैं।

1.14 सिक्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटर (Secured Administrator)

कम्प्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अपने अधिकार के बाहर की जानकारी से कम्प्यूटर में छेड़–छाड़ न हो, इस हेतु टोकन प्रबन्धक प्रणाली (मैनेजमेण्ट सिस्टम) हेतु दोहरे पासवर्ड (पहचान शब्द) की व्यवस्था की गई है। पहला पासवर्ड स्वयं प्रशासक का होता है और दूसरा क्रय विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी का होता है।

1.15 प्रक्रिया की विधि मान्यता

सूचना व्यवस्था की सुरक्षा संरचना इस प्रकार की गई है कि जब तक कि टेण्डर की तकनीकी आकलन की सभी औपचारिकतायें पूरी न हो जायें अथवा निविदा की निर्धारित तिथि तथा समय निकल न चुका हो, कम्प्यूटर पर बैठा व्यक्ति किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत टेण्डर को देख नहीं सकेगा।

1.16 एस.एस.एल. प्रमाण–पत्र

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम्प्यूटर में संरक्षित समस्त जानकारी कोड रूप में सुरक्षित रहे और अनाधिकृत व्यक्ति या सूचना–चोर (hacker) उसमें न पहुँच सके, सम्पूर्ण व्यवस्था (solution) को इस प्रकार बनाया गया है कि सूचना के इच्छुक और 'वेब सर्वर' यानी वेब सेवा प्रदाता के मध्य संभाषण ''128 bit OR 256 bit SSL Certificate'' प्राप्त हो जाने के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

1.17 अनधिकृत प्रवेश

सम्पूर्ण व्यवस्था (solution) को एक फायरवाल (सुरक्षाघेरा) तथा अतिक्रमण संसूचन प्रणाली (Intrusion Detection System) द्वारा सुरक्षित किया गया है जिससे अनधिकृत व्यक्ति एवं सूचना चोर (hacker) उस तक प्रवेश न पा सके।

ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली, के विवरण को दर्शाया गया है:–

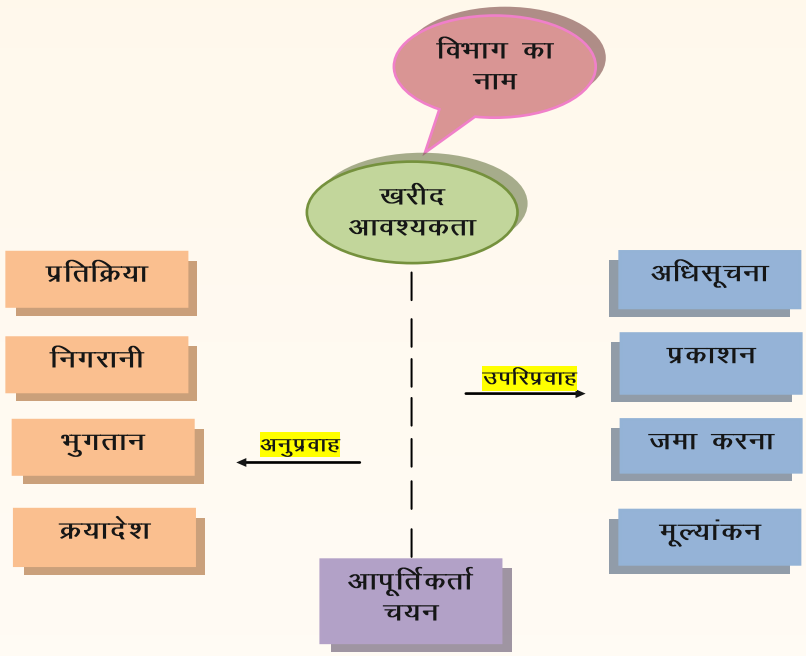

1.18 ई–प्रोक्योरमेण्ट के विभिन्न आयाम

ई–प्रोक्योरमेण्ट सार्वजनिक खरीद के लिए प्रौद्योगिकी का आवेदन है। शासकीय सामग्री क्रय, निर्माण, कन्सल्टेन्सी सेवाओं आदि की प्राप्ति के लिए शासकीय विभागों को आपूर्तिकर्ताओं के साथ जो सम्पर्क बनाने पड़ते हैं उनमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ही ई–प्रोक्योरमेण्ट कहा जाता है।

सम्पूर्ण विश्व में ई–प्रोक्योरमेण्ट परियोजनाओं की सफलता के निम्नलिखित कारण प्रमुख हैं:–

- सार्वजनिक क्रय प्रक्रिया में सुधार लाकर सरकारी व्ययों के प्रति जनता का विश्वास अर्जित करना
- सरकारी व्यय की कुशलता, पारदर्शिता एवं सार्थकता में सुधार
- प्रतिदिन के आदान–प्रदान में दृश्यता, पेपर वर्क से छुटकारा, कार्य दोहराने से मुक्ति, त्रुटि हीनता, मानकीकृत अनुमोदन प्रक्रिया।
- आर्थिक संवृद्धि
- व्यय में दृश्यता

- नीति निर्धारण तथा विस्तारण
- मांग, खरीद आदेश प्रक्रिया तथा भुगतान प्रणाली की पूर्ण रिपोर्ट्स
- उत्पादन क्षमता में वृद्धि

ई–प्रोक्योरमेण्ट का आयाम

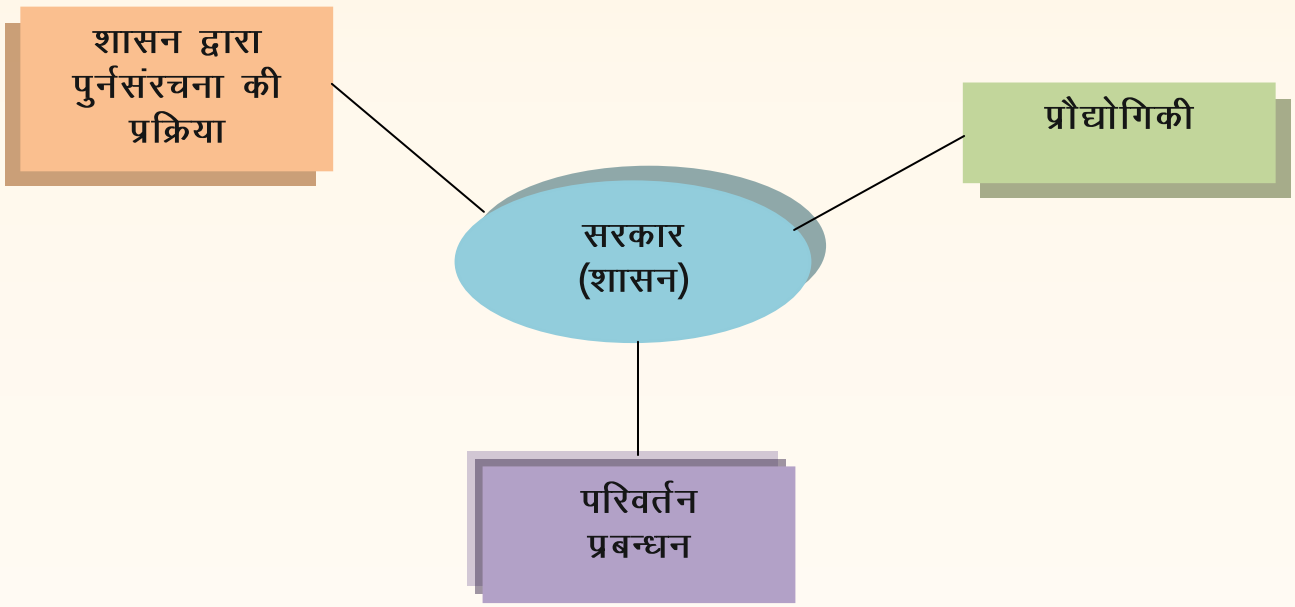

उपर्युक्त प्रत्येक मुद्दे को सुदृढ़ आधार देने तथा जनता एवं सरकार के बीच आपसी विश्वास, सद्भावना एवं पारदर्शिता बढ़ाने में इस नई प्रौद्योगिकी के सक्षम प्रभाव को परखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पर्क के बजाय नागरिक कहीं से भी ई–प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर सकता है और शासन के व्ययों की सूचना प्राप्त कर सकता है। आपूर्तिकर्ता भी निविदा के दस्तावेजों को 'आन लाइन' डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं से भी सरकारी ठेकों के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से, आवेदन कर सकते हैं।

शासकीय सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति में आने वाली समस्यायें भले ही सामान्य प्रतीत हों किन्तु आपूर्त्ति–प्रबन्धन के लिए वे अत्यन्त महत्व रखती हैं। सभी सम्भावित परिस्थितियों का पूर्वानुमान और उनका निदान प्रायः असम्भव है और इसलिए एक सहज–सुगम व्यवस्था का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है, जो नई प्रौद्योगिकी प्रणालियों द्वारा किया जा रहा है। यूँ भी शासन प्रशासनिक कार्यों में सरलीकरण की दिशा में प्रयासरत हैं।

वर्तमान परिस्थितियों की मॉग है कि पुराने जटिल कायदे–कानूनों को यथा सम्भव नई एवं सरल प्रक्रियाओं में बदल दिया जाय ताकि 'चेन्ज मैनेजमेण्ट' की गुणवत्ता, सूचना की गुणवत्ता तथा पारदर्शिता में सरकार और समाज के बीच नये सम्बन्धों का सूत्रपात हो सके।

अध्याय 2: प्रौद्योगिकी की भूमिका

- सार्वजनिक क्रय प्रक्रिया में तीन स्तरों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। पहला – वास्तविक कार्य निष्पादन और 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' के बीच जो तनाव होता है उसका निराकरण होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। दूसरा–सामान्य आपूर्ति के मामलों में लिखा पढ़ी और अनावश्यक भाग दौड़ पर होने वाले व्यय और विलम्ब से सीधे इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा सम्पर्क साध कर बचा जा सकता है। तीसरा – इसके द्वारा प्रबन्धन सूचना संचालन सुदृढ़ होने के फलस्वरूप विशेष एवं जटिल आपूर्ति के मामले भी आसान हो जाते हैं जैसे आपूर्ति के लिए निश्चित मूल्य (Rate Contract) पर माल खरीदना बशर्ते कि प्रबन्धन में कौशल की कमी न हो। चौथा – निविदा विस्तार व निरस्तीकरण की दशा में समय की बचत।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरकारी कामकाज और लेन–देन में जो कुशलता आयेगी उसका उद्यम एवं व्यापार पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकारी नीतियों एवं सूचना सुलभ होने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा शासन और व्यापार क्षेत्र के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा जन्म लेगी। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं कि विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में, आन लाइन टेण्डर सूचना उपलब्ध होने के कारण उद्यमियों में सरकारी कार्यों से जुड़ने का हौसला बढ़ा है। भारत में भी यह परिलक्षित हो रहा है। ऑध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी ठेकों के प्रति निजी व्यापारियों में अब होड़ लग रही है। OECD/DAC (2003) की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नई इलेक्ट्रानिक प्रणाली से पारदर्शिता और स्पर्द्धा में वृद्धि के साथ ठेके के मूल्यों में कमोबेश 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कमी लाई गई है।
- ई–प्रोक्योरमेण्ट से होने वाले फायदे केवल नई प्रणाली के कारण नहीं हैं। कुछेक मूलभूत मुद्दे ऐसे हैं जो परम्परागत और इलेक्ट्रानिक व्यवस्था दोनों में विद्यमान होते हैं, जिनके साथ निम्नलिखित शर्तें भी जुड़ी होनी चाहिएः–
  - आने वाले आपूर्ति के अवसरों का प्रभावी और व्यापक विज्ञापन, प्रचार–प्रसार होना अति आवश्यक है।
  - समस्त निविदाओं का आम रूप से ज्ञापित होना चाहिए।
  - समस्त आवश्यक सूचना एवं संशोधन की पूर्व–घोषणा होनी चाहिए।
  - बिड्स के मूल्यांकन तथा अनुबन्ध देने के नियमों में स्पष्टता होनी चाहिए।
  - विवाद की स्थिति में अपील आदि के नियमों को स्पष्ट रूप से पारिभाषित किया जाना चाहिए।
- 'ई–टेण्डरिंग' 'ई–कान्ट्रैक्ट मैनेजमेण्ट' तथा 'ई–परचेजिंग' के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं मार्गनिर्देश उपलब्ध है। निजी उद्योग की कुशलता पर भरोसा करते हुए भारत में कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक ने निजी एवं सरकारी भागीदारी का मॉडल अपनाया है। **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र**

(National Informatic Centre) को भी इस सम्बन्ध में अनुभव है जिसे उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में अग्रगामी रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

Benefits Realized So Far

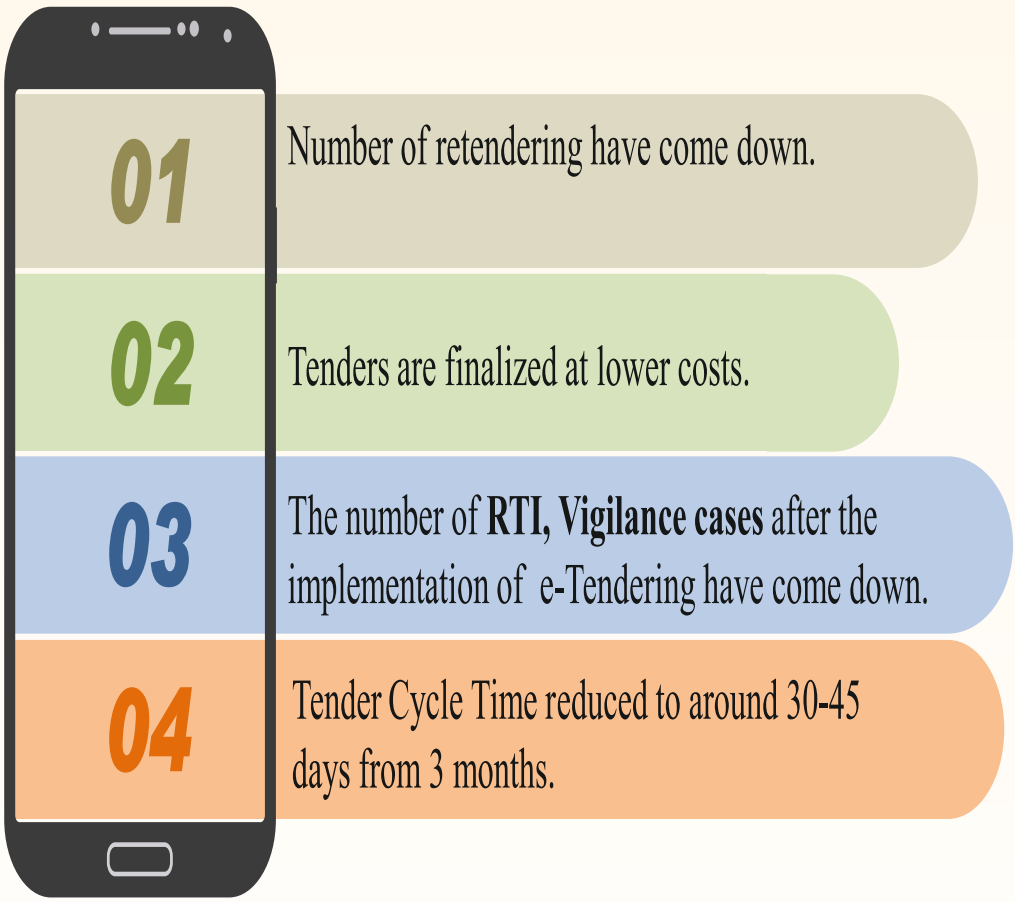

अध्याय 3: बिजनेस प्रक्रिया का पुनर्निमाण

Government Process Re-engineering (GPR)

3.1 ई–प्रोक्योरमेण्ट के लिए पुनर्संरचना

ई–प्रोक्योरमेण्ट में चली आ रही प्रक्रियाओं का सुदृढ़ मानकीकरण एवं अनुश्रवण हो सकता है ताकि नियंत्रण पर अंकुश रहे और एकाधिकार द्वारा अन्तिम निर्णय पर रोक लग सके। प्रभावी ई–प्रोक्योरमेण्ट के लिए पुनर्संरचना (Re-engineering) की आवश्यकता है जिससेः

- नियमों और पद्धतियों का सरलीकरण हो जैसे डिजिटल पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान
- सरल, सुसंगत, आधुनिक प्रक्रिया
- एक बार के पंजीकरण द्वारा स्पर्द्धा को कम खर्चीला बनाना
- प्रबन्धन एवं लेखा परीक्षा
- पुराने समयातीत नियमों का उन्मूलन
- बेहतर आपूर्तिकर्ता प्रबन्धन
- प्रबन्धन तथा लेखा–परीक्षा सम्बन्धी सूचना की अभिवृद्धि
- दक्षता, सुरक्षा तथा कम विवेक की आवश्यकता
- निविदा प्रस्तुत करने हेतु समय की पूर्व घोषणा और नियत समय पर उसका कार्यान्वयन।
- आपूर्ति प्रबन्धन जिसमें आपूर्तिकर्ता की पिछली कार्य निष्पादन शैली का भी आकलन अवश्य हो।
- छोटी आपूर्तियों के लिए 'कोटेशन' के मामले में अधिकारियों द्वारा मन की मर्जी के फैसलों को कम करना या न करना।
- नीतियों और नियमों को लागू करने में प्रत्येक चरण पर संगत एकरूपता होना।
- निर्माण कार्यों, सेवाओं तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु मानक निर्धारण ताकि निविदा में भाग लेने के अवसर अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके अपने हित एवं योग्यता के अनुसार स्वतः मिल सकें ताकि सार्थक प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली (MIS) बन सके और भविष्य के लिये उपलब्ध रहे।
- दस्तावेजों का पारेषण कुशल एवं संरक्षित ढँग से हो।
- सभी हितधारकों हेतु लाभ

ई–गवर्नमेण्ट प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है :–

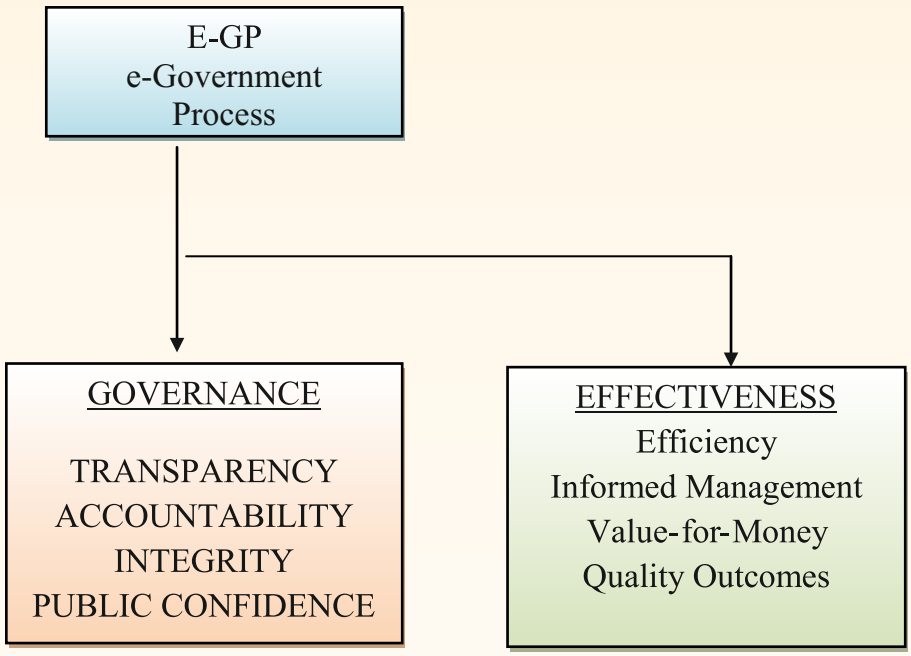

इसके लिए इस बात पर बल दिया जायेगा कि शासन की इकाइयों ने आपूर्ति को आम स्वरूप देने में नीतियों तथा कार्यविधियों में अपेक्षित सुधार हेतु पर्याप्त प्रयास किये हैं अथवा नहीं। इसका भी आकलन होगा कि ई–प्रोक्योरमेण्ट पद्धति के लागू होने से क्या आम आपूर्ति के संचालन में वास्तव में कोई सुधार आया है?

3.2 अन्य राज्यों से शिक्षा

ई–प्रोक्योरमेण्ट के ही सिलसिले में छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक की अधिशक्ति कमेटी द्वारा परियोजना विकास के कार्यों में लागू कुछेक सुधारों का आकलन किया गया। उदाहरण के लिये, दोनों सरकारों ने निर्णय किया कि माप–बिल (Measurement Bill) स्वयं ठेकेदार बनायेंगे न कि सरकारी कर्मचारी जैसा कि आम तौर से होता रहा है। कुछ अन्य सुधार इस प्रकार हैः–

1 इंजीनियरी के रेखा–चित्रों की प्रस्तुति और स्वीकृति हेतु Computer Aided Design (CAD) अवस्थापना का उपयोग आवश्यक हो।

2 आपूर्तिकर्ताओं की कार्यशैली का एक केन्द्रीकृत 'डेटा बेस' विकसित करना।

3 समान प्रकार की वस्तुओं के लिए एक कोड प्रणाली का विकास।

आवश्यकता इस बात की भी महसूस की जा रही है कि 'प्रोक्योरमेण्ट' की कार्य प्रणाली के अनुश्रवण हेतु एक तॅत्र स्थापित किया जाय क्योंकि इसके अभाव में प्रबन्धन के लिए यह आकलन करना संभव नहीं है कि प्रोक्योरमेण्ट में हुए सुधारों के अपेक्षित परिणाम निकल रहे हैं अथवा नहीं। प्रोक्योरमेण्ट सुधारों का प्रदर्शन भी इस कार्यप्रणाली के विषय में सूचना अनुपलब्ध होने के कारण नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ई–प्रोक्योरमेण्ट मौजूदा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी को लागू करना मात्र नहीं है, अपितु अनेक स्थानों पर परम्परागत तौर–तरीकों को बदलना तथा विभिन्न प्रबन्धन प्रक्रियाओं, नयाचार तथा कार्य विधियों का मानकीकरण एवं सरलीकरण भी करना है ताकि ये सब आज के डिजिटल पर्यावरण के अनुरूप बन सकें। उदाहरण के लिये 'ई–टेण्डरिंग' के लागू हो जाने के बाद बिडर्स निविदा प्रपत्रों को निःशुल्क 'डाउनलोड' कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टेण्डरों के विक्रय पर मूल्य वसूलने की प्रथा समाप्त करनी होगी। टेण्डरों की बिक्री को लेकर कोई पोथीनुमा फाइल भी नहीं बनानी पड़ेगी जिससे दबाव डालने वाले ठेकेदारों के समूहों को बैठे बिठाये सूचना का एक भंडार मिल जाता था। अब निविदा ही सूचनाओं का प्रभावी स्रोत होगा, जिसके कारण ये समूह भी बनने स्वतः बन्द हो जायेंगे और सरकारी ठेकों के लिये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष स्पर्द्धा का वातावरण प्रदेश में तैयार हो सके।

ई–प्रोक्योरमेण्ट की सफलता के लिये उससे सम्बन्धित अधिकारियों एवं उद्यमों में लगे भागीदारों को प्रशिक्षित करना होगा। वैसे मानकीकरण एवं समुचित कम्प्यूटर नयाचार के साथ अन्य अतिरिक्त कदमों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के स्वेच्छा निर्णय को कम किया जा सकता है।

अध्याय 4: परिवर्तन–प्रबन्धन
(Change Management)

4.1 ई–प्रोक्योरमेण्ट की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम

- ई–प्रोक्योरमेण्ट के पक्ष में निर्णय के अर्थ हैं व्यापक सुधारों की एक श्रॅखला में सुधार, जिन्हें यूँ भी आना ही चाहिये था लेकिन एक कुशल नेतृत्व द्वारा सुधार की व्यापक सम्भावना होती है। अनेक देशों के अनुभव से ज्ञात होता है कि परम्परागत तरीकों से सुधार लाने के उपायों में सीमित सफलता ही मिल पाई है। अधिकॉश ऊर्जा रिपोर्ट बनाने, संस्तुतियॉ करने, 'पेपर' और कानूनी बिन्दुओं तथा अपने पक्ष के बचाव में बहस–मुबाहिसें में खर्च हो जाती है। सरकारी कर्मचारी जिनकी देख रेख एवं नियंत्रण में व्यवस्था बिगड़ी होती है, उन्हें ही बुनियादी सुधारों के लिये भी उत्तरदायी बना दिया जाता है। वैसे सच तो यह है कि जो हो रहा है वह होता है उस पर सरकारी अमले का ज्यादा बस नहीं चलता।
- निहित स्वार्थ वाले तत्वों के विरोध की समस्या के अतिरिक्त यह भी है कि एक आधुनिक, कानून संगत, सार्वजनिक सुचालित 'प्रोक्योरमेण्ट' संस्थान के लिये मूलभूत अवयवों और आवश्यक उपकरणों के साथ प्रौद्योगिकी ज्ञान का भी अभाव है। एक और विषम कमी यह है कि सामान्यतया किसी को पता ही नहीं है कि आज की परिस्थितियों में सुधारों का श्रीगणेश कैसे किया जाय और हो रहे परिवर्तनों का किस प्रकार वर्तमान प्रबन्धन के माध्यम से, सामना किया जाय। प्रोक्योरमेण्ट के लिये एक उपयुक्त एवं व्यापक कानूनी ढॉचा तैयार करने हेतु ऐसे व्यक्तियों का होना भी नितान्त आवश्यक है जो कानूनी बारीकियों को जानते हों, प्रोक्योरमेण्ट विषयक जानकारी में पारंगत हों और संस्थागत मुद्दों के साथ कार्यविधियों के भी ज्ञाता हों।
- प्रायः देखा गया है कि प्रोक्योरमेण्ट का काम करने वालों को आपूर्ति का थोड़ा बहुत तकनीकी ज्ञान तो होता है किन्तु वे व्यापक नीतियों और बड़े मुद्दों से कमोबेश अनभिज्ञ रहते हैं जिनमें नियोजन, प्रबन्धन तथा सुधारों को एक विस्तृत पहल पर लागू करने में अत्यन्त आवश्यकता होती है।
- कभी–कभी ई–प्रोक्योरमेण्ट की अपरिहार्यता निहित स्वार्थों ओर कुशलता–अभाव के दोहरे अवरोधों को ध्वस्त करने में प्रोत्साहन का कारण बन जाती है। मौजूदा प्रक्रियाओं और नयाचारों (Protocols) की आनलाइन, पर्यावरण पर एक नई रूप–रेखा दे देने भर से ई–प्रोक्योरमेण्ट का कुछ भला नहीं होने वाला है। वैसे प्रौद्योगिकी कार्य सूची का इतना प्रभाव तो होता ही है कि सुधार की प्रक्रिया पर कुशलता तथा अपेक्षित सरलीकरण की एक अतिरिक्त पर्त चढ़ जाती है जिससे निहित स्वार्थों ओर परम्परागत इकाइयों के मकड़जाल को एक तरफ कर देने में सहायता मिलती है, अन्यथा यही तत्व सुधार की प्रक्रिया के भी नियंत्रक बन जाते हैं।

➢ जिन देशों में सुधार प्रक्रिया काफी समय से निष्चेष्ट पड़ी है, वहॉ से सबूत मिले हैं कि सरकार के उच्चतम गलियारों में एकनिष्ठ राजनीतिक प्रतिबद्धता के अभाव में कानूनी ढॉचे को पूरी तरह अपेक्षित व्यवस्था के अनुरूप ढालने में बड़ी कठिनाई होती है।

मानव संसाधन–प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण के महत्व को उचित मान्यता न देने से सामान्यतः परिवर्तन एवं इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली के प्रति जन प्रतिरोध एवं अविश्वास उत्पन्न होता है। मानव संसाधन में प्रशिक्षण प्रभावी रूप से ई–प्रोक्योरमेण्ट की कार्य–क्षमता को प्रभावित करता है। क्रेता, विक्रेता तथा प्रबन्धन, सभी को प्रशिक्षित होना चाहिये ताकि वे आपूर्ति की समस्त प्रक्रियाओं को समझ सकें कि इलेक्ट्रानिक विधा में इसका कैसे संचालन होगा। प्रशिक्षण के बिना प्रोक्योरमेण्ट से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी सोच सकते हैं कि एक दिन उनका स्थान प्रौद्योगिकी ले लेगी। सामान्यतः यह सही नहीं है यह केवल मैनुअल निविदा का स्वरूप बदलकर इलेक्ट्रानिक स्वरूप देना है। प्रशासन के सक्रिय क्षेत्रों तथा सामग्री एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के बीच सीमित जानकारी तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का पूरा लाभ न उठा पाने के कारण गलत एवं भ्रामक सूचनाओं द्वारा निजी गोपनीयता, सुरक्षा एवं प्रमाणिकता को लेकर वृथा ही अविश्वास का एक वातावरण बन जाता है जिसके लिए प्रशिक्षण एक आधारभूत आवश्यकता है। अतः ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्य प्रणाली लागू करने हेतु प्रशिक्षण एक अति महत्वपूर्ण अंग है।

ई–प्रोक्योरमेण्ट की सफलता का केवल एक ही मापदण्ड है कि वह कितनी प्रभावशाली व्यवस्था है। इसके लिए जो उपाय करने चाहिए उन सभी की नाप–तौल तो सम्भव नहीं है लेकिन कुछेक अवश्य हैं जैसे क्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं की संख्या, लेन–देन का परिमाण कितना है और यह कि कितने सरकारी विभाग/उपक्रम इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं। साथ ही और भी आवश्यक तत्व हैं जिनका सम्बन्ध पारदर्शिता और जवाबदेही से है – और जिन्हें भौतिक रूप से चिहिन्त करना कठिन है। लेकिन इन सबको ध्यान में लेना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दे ई–प्रोक्योरमेण्ट की प्रभावशाली एवं उद्देश्य से अत्यन्त निकटता से जुड़े हैं ओर भविष्य में ई–प्रोक्योरमेण्ट की सफलता इन्हीं मुद्दों पर आश्रित होगी।

4.2 उच्च–स्तरीय राजनीतिक समर्थन

➢ उच्च–स्तरीय राजनीतिक समर्थन सुलभ होने की आवश्यकता के साथ वहॉ स्वयं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नेतृत्व की पहल कर सकते हैं और सुधारों के लिए नई राहें खोज सकते हैं। प्रत्येक स्तर पर सुधार के लिए संस्थागत विन्यास की पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी। ई–प्रोक्योरमेण्ट से निश्चय ही सम्बन्धित कानूनों में एक–रूपता विकसित होगी, निविदा दस्तावेजों, निविदा में भाग लेने वालों तथा निविदा विज्ञापनों के लिये एक ही मानक का प्रयोग होने लगेगा, भले ही बहुत जगहों में कम्प्यूटर उपलब्धता सुगम न हो किन्तु वहॉ इन्टरनेट कैफे से काम चल सकता है। **यह भी सत्य है कि अभी कम्प्यूटर साक्षरता बहुत व्यापक नहीं हो पाई है, किन्तु अनेक दृष्टॉतों से आशा होती है कि जब सरकार ई–प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से उद्यमों के लिये नये अवसर निकालेगी तो कम्प्यूटर साक्षरता स्वतः तेजी से विकसित होने लगेगी तथा जनमानस के लिए रोजगार के नये आयाम उत्पन्न होंगे ही।**

- इस प्रकार हो रहे परिवर्तन से प्रबन्धन को एक सीख तो निश्चित रूप से मिलती है और वह यह कि बिना एक ''पूर्णतया अधिकार सम्पन्न इकाई'' के नेतृत्व के, जो मानकों, संचालन तथा एक समान व्यावहारिक आदर्श की एवं सुरक्षा की जमीन दे सके, नई प्रौद्योगिकी को सार्थक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। इस मूल बिन्दु की स्थापना के बिना आशंका है कि सरकारों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्रतिकूलता अथवा भिन्नता आयेगी और मौजूदा समस्यायें तथा सुरक्षा के सरोकार और विषम हो जायेंगे।

4.3 जन सहभागिता द्वारा परिवर्तन

- परिवर्तन प्रबन्धन के लिये एक दूसरा पाठ है, जन सहभागिता का। इस संदर्भ में मुख्य भागीदार हैं व्यापारी या उद्यमी वर्ग तथा आम जनता। व्यापारी वर्ग की ई–प्रोक्योरमेण्ट में तभी ढॅग से भागीदारी हो सकेगी जब उसे उसके मूल्य निवेश का उचित प्रतिदान मिले तथा अधिक पारदर्शिता के साथ उद्यमी वर्ग को ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली में सार्थक हस्तक्षेप और पड़ताल के अवसर मिल सकें।
- अनुभव बताता है कि सुव्यवस्थित संस्थानों में तकनीकी स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का नेतृत्व और प्रशासकीय प्रक्रियाओं पर वित्तीय नेतृत्व रहता है जब कि परिवर्तन प्रबन्धन में दोनों मिश्रित रूप से नेतृत्व प्रदान करते हैं।

ई–प्रोक्योरमेण्ट के तहत कुछ उदाहरणार्थ जो कि समय बचाते हैं:–

क्रमांक	गतिविधि	कागज पर आधारित	वेब आधारित
1	नौ आपूर्तिकर्ताओं में प्रत्येक को 500 पृष्ठ मेल किया जाना	4500 पृष्ठ	1.4 मेगाबाइट डिस्क स्पेस
2	निविदा तैयार करना	12 घण्टे	0.5 घण्टे (आधा घण्टा)
3	DATA CAPTURING - 10 Field Per record at Average 5 Character Per field at 0.5 Second Per Character for 2000 item and 9 Suppliers.	125 घण्टे	01 घण्टा

4.4 ई–प्रोक्योरमेण्ट परिपालन

अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव से प्रकट होता है कि ई–प्रोक्योरमेण्ट के सही कार्यान्वयन से आपूर्ति (Procurement) हेतु सुधारों में बड़ा अन्तर पड़ता है और सरकार को भी निश्चित रूप से लघु एवं दीर्घकालीन लाभ होते हैं जिनसे शासन की छवि निखरती है। सरकारी कार्यों में व्यय, वित्तीय कुशलता तथा बेहतर प्रशासन से नीतियों का सही विकास होता है एवं आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। **निम्नवत तालिका में शासन को मिलने वाले कुछेक महत्वपूर्ण फायदों के साथ दिखाया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं और सामान्य जनता भी ई–प्रोक्योरमेण्ट में निहित पारदर्शिता एवं कुशलता द्वारा किस प्रकार लाभान्वित होते हैं।**

	शासन (सरकार)	सप्लायर (आपूर्तिकर्ता)	पब्लिक (जनता)
पारदर्शिता	• भ्रष्टाचार निरोध • आपूर्तिकर्ताओं की बढ़ी हुई संख्या • विभिन्न सरकारों द्वारा बेहतर आपसी सामंजस्य, एवं पारस्परिक व्यवहार • व्यावसायिक आपूर्ति अनुश्रवण • उत्तम गुणवत्ता के आपूर्ति–निर्णय तथा (विश्वसनीय) ऑकड़ों का सृजन • बेहतर छवि	• व्यावसायिक स्पर्द्धा में बढ़ती ईमानदारी • सरकारी व्यापार (बाजार) में सुगमता से पैठ • नये आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी सरकारी बाजार का खुला रास्ता • एस.एम.ई. (SME) भागीदारी को प्रोत्साहन • आम जनता को सरकारी आपूर्ति विषयक सूचना की अपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धता • सरकारी जवाबदेही	• आपूर्ति से सम्बन्धित जानकारी तथा सामान्य जनता की पहुँच • सार्वजनिक व्यय का अनुश्रवण • बात पर बेहतर तवज्जो • सरकारी जवाबदेही
कुशलता लागत	• मूल्यों में कमी • कम लागत पर सरकारी सौदे (लेन–देन)	• सौदों यानी लेन देन में कम लागत • कुशल कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता	• वित्तीय व्यय का सार्वजनिक कार्यों हेतु बेहतर वितरण
	• कुशल कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता पर्याप्त • वित्तीय व्यय में कमी	• पर्याप्त • नगदी को बेहतर आमद (रोकड़ में बढ़ोत्तरी)	
समयबद्धता	• विभिन्न कार्यों का सरलीकरण एवं दोहरे कामों का विलोपन • कहीं भी, किसी भी समय सम्पर्क (सम्प्रेषण) • कम अवधि में आपूर्ति सुनिश्चित करना	• विभिन्न कार्यों का सरलीकरण एवं दोहरे कार्यों का विलोपन • कहीं भी, किसी भी समय सम्प्रेषण • कम अवधि में आपूर्ति	• कहीं भी, किसी भी समय सम्प्रेषण

उर्पयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेण्ट की रणनीति में निम्नलिखित तीन प्रमुख मुद्दों पर विशेष बल देना होगाः–

- तकनीकी मानकों एवं नियमों से सम्बन्धित स्पष्ट सूचना प्रौद्योगिकी नीति।
- आपूर्ति की प्रक्रिया के पुनर्गठन के व्यापारिक पहलू।
- आपूर्ति व्यवस्था के संचालन में लगी इकाइयों द्वारा नई पद्धतियॉ अपनाने में परिवर्तित प्रबन्धन द्वारा सहायता।

अध्याय 5: ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यान्वयन की रणनीति के अंग

ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यान्वयन रणनीति के तीन अत्यावश्यक तत्व – नीति, मंच एवं प्रक्रिया हैं जिनका विवरण निम्नवत है :–

5.1 ई–प्रोक्योरमेण्ट (आपूर्ति) कार्यान्वयन नीति

(क) नीति एवं कानूनी संरचना

इस संरचना से ई–प्रोक्योरमेण्ट व्यवस्था को विकसित करने का एक उपयुक्त वातावरण मिलता है। अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णयों में यह देखना होगा कि मौजूदा रोजमर्रा की सार्वजनिक आपूर्ति में ई–प्रोक्योरमेण्ट की नीतियों को किस प्रकार से समन्वित किया जाय तथा ई–प्रोक्योरमेण्ट के कार्यक्रमों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों और इसके वित्तीय पोषण की समस्याओं का एक साथ समावेश कैसे हो। नियमों की अनुपलब्धता अथवा केवल परम्परागत कायदे–कानून और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बूते पर ई–प्रोक्योरमेण्ट को सरकारी इकाइयों के समक्ष एक नई छवि बनाने में रूकावटों का सामना करना पड़ सकता है।

(ख) नेतृत्व एवं प्रबन्धन

ई–प्रोक्योरमेण्ट के भविष्य और लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए उसमें परिकल्पित आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तन एवं रणनीति निर्धारण के लिये सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शासन की भूमिका एक शक्तिशाली नेतृत्व की होनी चाहिए जो आवश्यक परिवर्तनों को दृढ़ता के साथ लागू करा सके।

(ग) जागरूकता एवं क्षमता सृजन

ई–प्रोक्योरमेण्ट व्यवस्था को आधुनिकतम सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य पूर्णरूपेण स्वचालित यंत्रों के माध्यम से सुगमतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है किन्तु वास्तव में यह शासकीय ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यक्रम का केवल एक ही भाग है। दूसरा, कहीं अधिक महत्वपूर्ण भाग मानव संसाधन विकास का है जो इस कार्यक्रम को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं, अपेक्षित दूरगामी निर्णय लेते हैं, समस्त प्रक्रिया को पारिभाषित करते हैं और अंततः उसका उपयोग करते हैं।

5.2 ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया

- ई–प्रोक्योरमेण्ट पद्धतियों से सार्वजनिक आपूर्ति में मितव्ययिता एवं दक्षता को प्रोत्साहन मिलता है। स्पर्द्धा के दायरे के विस्तृत हो जाने से आपूर्ति की सम्पूर्ण लागत कम हो जाती है, अनियंत्रित मनमाने क्रेताओं की संख्या कम हो जाती है और निविदाओं में अपेक्षाकृत कमी आ जाती है, पर यह सुनिश्चित हो जाता है कि छुट्टा मनमाने क्रेता केवल अपने से सम्बन्धित बिड हेतु ही अनुरोध करें।
- ई–प्रोक्योरमेण्ट के पूर्ण उत्कर्ष के लिये सम्पदा प्रबन्धन, क्रय प्रक्रिया, वसूली (प्राप्तियॉं), रख–रखाव, लेखा, सामग्री, भंडार–नियंत्रण आदि चुस्त–दुरूस्त होने के साथ भली–भॉंति समेकित होने चाहिए। इस प्रकार शासन की सार्वजनिक व्यय–प्रबन्धन भूमिका तथा कार्य प्रणाली को उज्जवल बनाया जा सकता है।

5.3 ई–प्रोक्योरमेण्ट द्वारा कारोबार को गति

- ई–प्रोक्योरमेण्ट समय और ध्यान की सीमाओं के बन्धनों को तोड़कर करोबार (संचालन) को गति प्रदान करता है। इन्टरनेट, जो सम्पूर्ण विश्व से सम्पर्क का एक सुलभ सार्वजनिक साधन है, के द्वारा समय तथा भौगोलिक सीमाओं के आर–पार त्वरित एवं निरन्तर सम्प्रेषण होता रहता है। इस प्रकार आपूर्ति के कारोबार में लगे उद्यमियों को बोली की औपचारिकताओं आदि के लिये पर्याप्त समय और सोच–विचार का अवसर मिल जाता है।
- सोच–विचार कर बनाई गई ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणालियों से उपयोगी आंकड़ों का सृजन होता है जिनसे काम–काज की मीमॉसा और प्रबन्ध के निर्णयों के समर्थन और मूल्यॉकन की प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिलती है।
- इसके अतिरिक्त निविदा प्रस्तुत करने वाले अर्हतायुक्त सभी उद्यमियों को कारोबार में समान अधिकार और समान अवसर मिलते हैं जिसका बड़ी कड़ाई से पालन होता है। इस प्रकार राज्य तथा देश के बाहर के निविदादाताओं को लागत, सरकारी खानापूरी आदि के सम्भावित झंझटों से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि अब इलेक्ट्रानिक माध्यम से क्षेत्रों तथा समय के बंधन से मुक्ति मिल गई है।
- ई–प्रोक्योरमेण्ट में नियमों के अनुचालन हेतु अत्यन्त व्यवस्थित ढॅग से सबके लिए एक–समान पटल का निर्माण किया जाता है – पहुंच, भुगतान तथा भागीदारी को लेकर 'लाग' (log) के माध्यम से कार्यकलाप की व्यापक समीक्षा होती रहती है।

5.4 ई–प्रोक्योरमेण्ट कार्यान्वयन – रणनीति

ई–प्रोक्योरमेण्ट के कार्यान्वयन के ढॉचे सामरिक होते हैं और जैसा इस लेख में निहित है, उन्हें आयामों और अवयवों की अंर्तसंलग्नता को ध्यान में रखना पड़ेगा।

ई–प्रोक्योरमेण्ट की रणनीति के अवयव एवं आयाम एक समान हो सकते हैं, फिर भी आवश्यक है कि किसी विकल्प विशेष को अपनाते समय एक लचीलापन रहे। विभिन्न क्षेत्रों में नये विचारों और रीतियों के व्यक्तिगत योगदान से अनुभवों का एक ज्ञान भण्डार बन सकता है, जिसे ई–प्रोक्योरमेण्ट के कार्य कलाप हेतु एक ज्ञानाधार के रूप में विकसित करके लाभान्वित हुआ जा सकता है।

5.5 एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) की भूमिका

- ई–प्रोक्योरमेण्ट योजना को उत्तर प्रदेश में https://etender.up.nic.in पोर्टल से लागू करना जैसा कि एन.आई.सी. द्वारा तमिलनाडु, हरियाणा एव उड़ीसा में पहले से किया जा चुका है।
- ई–प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल पर सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी का पंजीयन कराया जाना तथा अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाना।

5.6 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 (UPLC) की भूमिका

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत नामित नोडल एजेन्सी के रूप में विभिन्न विभागों, एन.आई.सी. तथा ई–प्रोक्योरमेण्ट से जुड़ी अन्य इकाइयों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

- ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, टेण्डर प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण आदि।
- अधिकारियों एवं निविदादाताओं को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने में सहायता और ई–टेण्डर पोर्टल पर उनका पंजीकरण करने में सहायता।
- ई–टेण्डरिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निविदादाताओं की सहायता तथा मार्गदर्शन।

5.7 सम्बन्धित विभागों की भूमिका

- विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में ई–प्रोक्योरमेण्ट अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन और ई–प्रोक्योरमेण्ट की प्रगति का जायजा लेने के लिए नियमित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना।
- विभाग में ई–प्रोक्योरमेण्ट के लिए नोडल अधिकारी नामित करना।
- विभाग के अन्तर्गत कार्यालयों के कम्प्यूटरों में ई–प्रोक्योरमेण्ट हेतु ब्राण्ड–बैण्ड कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सभी कर्मचारियों एवं निविदादाताओं के लिए 'डिजिटल सिग्नेचर' की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विभाग के ऐसे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था जो प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षकों यानी मास्टर ट्रेनर (प्रमुख प्रशिक्षक) के रूप में अन्य अधिकारियों और निविदादाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर सकें।
- विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को कम्प्यूटर के प्रति शिक्षित कर संवेदनशील बनाना तथा उपयोगिता बनाना।
- विभिन्न माध्यमों यथा प्रिन्ट मीडिया (समाचार पत्र इत्यादि), इलेक्ट्रानिक मीडिया (टेलीविजन, फिल्म, रेडियो आदि), सोशल मीडिया द्वारा ई–प्रोक्योरमेण्ट को प्रोत्साहित एवं गौरवान्वित करना।
- कुल मिलाकर ई–प्रोक्योरमेण्ट को सम्पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की ही है। विभागों द्वारा इसे अपने विभाग में सफल बनाने का स्वयं का उत्तरदायित्व है।

अध्याय 7 : निविदादाताओं एवं अधिकारियों के उपयोगार्थ महत्वपूर्ण निर्देश

केवल निविदादाताओं के उपयोगार्थ

1. अपना ई–मेल आई.डी. (जो डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के समय बनाया गया है)।
2. बिन्दु–1 पर बनाए गये ई–मेल आईडी का पासवर्ड (जिसे पासवर्ड–I कह सकते हैं।)
3. डिजिटल सिग्नेचर (ई–टोकन) का पासवर्ड/पिन (PIN) जिसे पासवर्ड–II अथवा पिन नं0 कह सकते हैं।
4. ई–टेण्डर साइट http://etender.up.nic.in पर एनरोलमेण्ट करने के समय लॉग–इन आईडी (बिन्दु–1 पर दिया गया ई–मेल आईडी होगा)।

अधिकारियों के उपयोगार्थ

1. डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के समय कस्टमर आई.डी. नं0 (CIN), नाम, पिन नं0 (PIN) उपलब्ध कराया जाता है।
2. सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर रजिस्टर करने के उपरान्त लाग–ईन–आई0डी0 (log-in-id) एवं पासवर्ड (Password) उपलब्ध कराया जायेगा।
3. नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु–2 उपलब्ध कराये गये इस लाग–ईन–आई0डी0 एवं पासवर्ड की सहायता से सम्बन्धित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से मैप (Map)/लिंक (Link) कराया जाना होगा।
4. पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखें।

विभागों के लिए महत्वपूर्ण

While selecting bid openers, It is learnt that 2 of 2 option is still being used by few of the deptts. As Bid opening is a critical event and encryption cert, is reqd. to ensure opening of Bids from 15 July 2017, the option of 2 of 2 bid opening will be deactivated in this portal. You may ensure either 2 or 4 or at least 2 or 3 Bid Opener Option to be enforced by all users.

अध्याय 8: अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question)

1. ई–टेण्डरिंग प्रणाली क्या है?

ई–टेण्डरिंग प्रणाली इन्टरनेट के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से सामग्री/सेवाओं के क्रय की प्रक्रिया है। इस सुविधा से टेण्डरिंग प्रक्रिया में लगने वाला समय अत्यधिक कम हो जाता है और टेण्डरिंग से जुड़ी अधिकाँश अप्रत्यक्ष लागत भी कम हो जाती है।

2. ई–टेण्डरिंग का उद्देश्य क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 से लागू उत्तर प्रदेश निविदा में पारदर्शिता अधिनियम का उद्देश्य शासन और शासकीय संगठनों में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों और सामग्री तथा सेवाओं के क्रय हेतु निष्कपट और भेदभाव–रहित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराया जाना है।

3. 'टेण्डर्स उत्तर प्रदेश पोर्टल' पर क्या विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध हैं?

निविदादाता 'Active Tenders' link का उपयोग करके इस पोर्टल पर प्रकाशित सभी टेण्डर्स देख सकते हैं और टेण्डर समय–सारणी (शिड्यूल) निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

'Tenders by Closing Date' link निविदादाताओं को उन निविदाओं को देखने की सुविधा प्रदान करता है जो आज बन्द हो रहे हैं, अगले 07 दिवस में बन्द हो रहे हैं अथवा अगले 14 दिनों में बन्द हो रहे हैं।

'Corrigendum' link सभी निविदाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित संशोधन प्रदर्शित करता है।

यह साइट विभिन्न मापदण्डों जैसे कि मूल्यों के आधार पर, विभाग के आधार पर, उत्पाद–श्रेणी आदि के आधार पर निविदाओं की तलाश की सुविधा प्रदान करती है।

4. टेण्डर डाकूमेन्ट को कैसे डाउनलोड करें ?

टेण्डर डाकूमेन्ट को डाउनलोड करने के लिए, निविदादाता को पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, आप द्वारा अपने ई–मेल एकाउन्ट का प्रयोग करते हुए एक बार ही पंजीयन पर्याप्त है। यह निविदाओं से सम्बन्धित संदेशों को, जो आपकी रूचि के हो सकते है, आप तक पहुॅचाने में सहायता करेगा। आप इस पंजीयन संख्या का उपयोग ''टेण्डर्स उत्तर प्रदेश'' पोर्टल से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए, किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम से कर सकते हैं।

5. ''टेण्डर्स उत्तर प्रदेश'' पोर्टल से सम्बन्धित किसी शंका का निवारण कैसे प्राप्त करूँ।

अपनी शंकाओं से सम्बन्धित स्पष्टीकरण हेतु आप support-eproc@nic.in पर ई–मेल कर सकते हैं।

6. ई–टेण्डरिंग प्रणाली में अपना पंजीयन कैसे करायें ?

ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीयन अत्यन्त सरल है। टेण्डर्स पृष्ठ पर जाकर, पंजीयन– प्रपत्र को भर दें। ई–टेण्डरिंग हेतु आपका आई.डी. प्रदान कर देंगे।

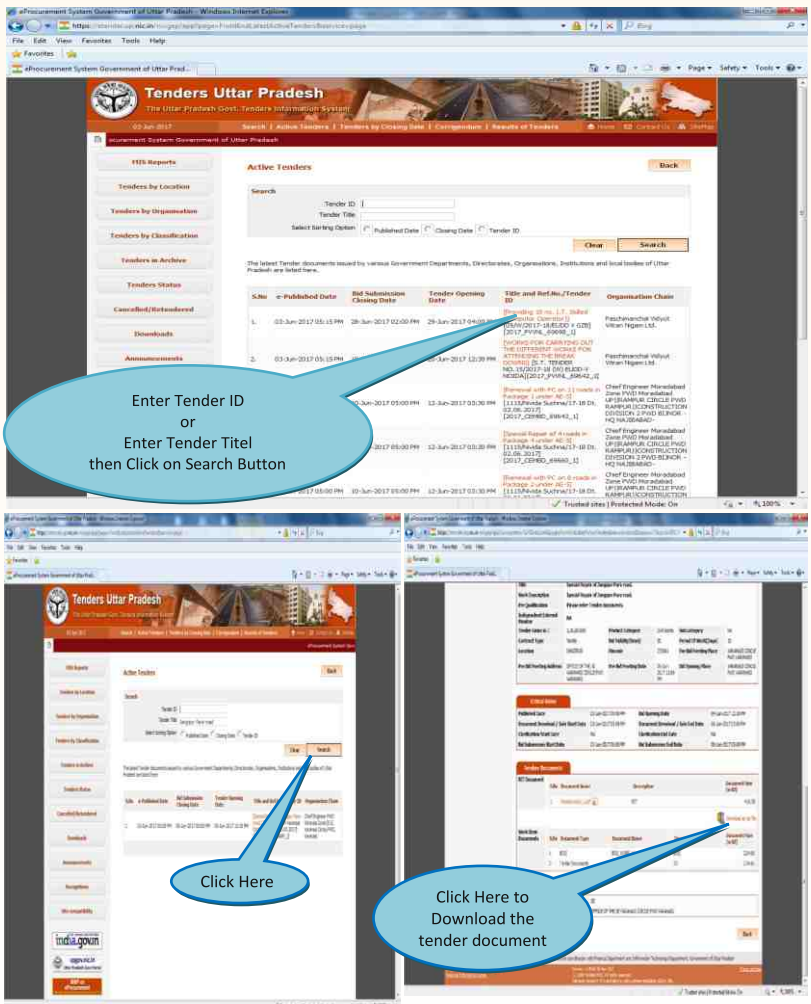

7. मेरा पंजीयन हो चुका है, यह कब तक वैध है?

आप के व्यवसाय–रत रहने तक आपका पंजीयन वैध है।

8. मेरे व्यक्तिगत विवरणों का क्या उपयोग होगा?

आपके व्यक्तिगत विवरणों का उपयोग सिस्टम को विशिष्ट बनाने के लिए किया जायेगा जिससे कि केवल सम्बन्धित सूचनायें ही आप प्राप्त कर सके। ये विवरण विभाग द्वारा आपकी निविदा के मूल्यांकन के समय भी उपयोग में लाये जाते हैं।

9. अपना पंजीयन कराने के पश्चात मैं ई–टेण्डरिंग सिस्टम में कैसे लाग–इन करूँ?

ई–टेण्डरिंग पर पंजीयन के पश्चात आप अपने आई.डी. पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करके साइट पर लाग–इन कर सकते हैं।

10. यदि मैं अपना ई–टेण्डरिंग एकाउन्ट अन्य कम्प्यूटर पर उपयोग करना चाहूँ?

आप अपने एकाउन्ट को विश्व में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आपको केवल Pentium IV अथवा उच्च विशिष्टियोंयुक्त कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट की जरूरत है तथा उस पर जावा 7 अपडेट 71 ड्राइवर 32/64 बिट अपलोड होना चाहिए।

11. क्या पासवर्ड सुरक्षित है?

पासवर्ड को डेटाबेस स्तर पर कोड के रूप में संरक्षित किया गया है। पासवर्ड केवल आपको ज्ञात है।

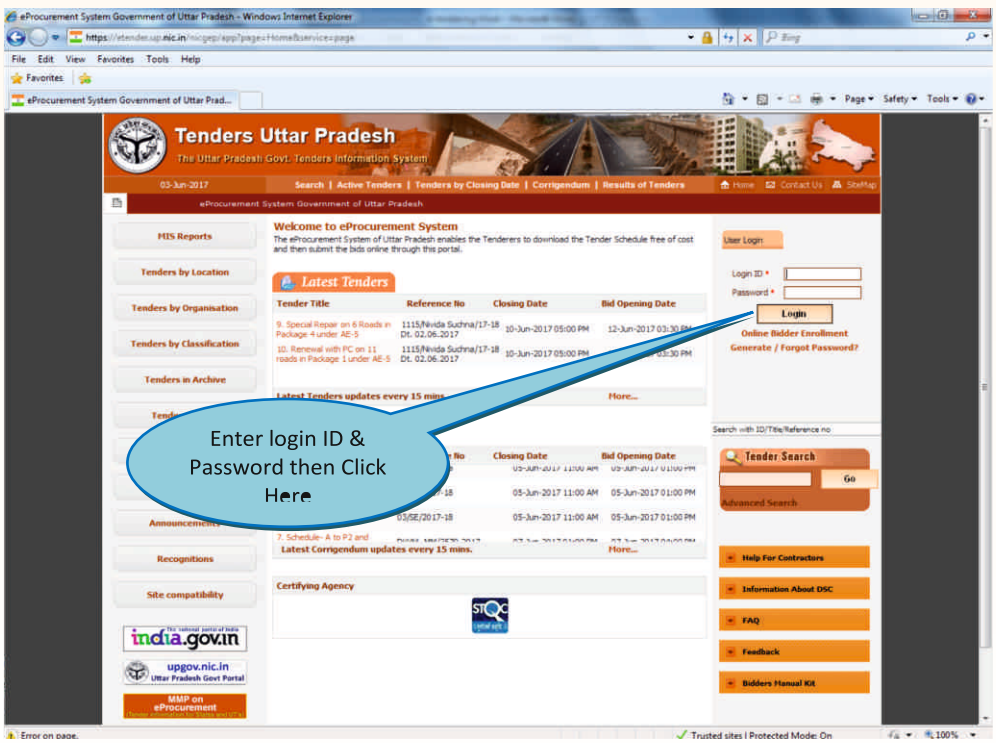

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी आपका पासवर्ड ज्ञात नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारा परामर्श है कि अपना पासवर्ड आप निश्चित समय अन्तराल पर बदलते रहें।

12. मैं अपना पासवर्ड किस प्रकार बदल सकता हूँ?

अपने एकाउन्ट में लाग–इन करने के उपरान्त आपको पासवर्ड परिवर्तन के लिए एक लिंक प्राप्त होता है, जिससे आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं।

13. मेरा पासवर्ड खो गया है, इसे दोबारा कैसे प्राप्त करूँ?

"Forgot Password" पर Click करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ई–मेल भेज दें। आपको नया पासवर्ड ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

14. साइट का उपयोग मैं किस तरह करूँ?

आपको परामर्श है कि Pentium IV अथवा उच्च विशिष्टयोंयुक्त कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट कनेक्शन प्राप्त कर लें। विकल्पस्वरूप इसके लिए आप किसी इन्टरनेट केन्द्र की सेवायें ले सकते हैं।

15. मैंने पंजीयन कराया है, मुझे पुष्टि ई–मेल क्यों नहीं प्राप्त हो पाई?

कृपया पंजीयन के दौरान आपको प्रदत्त ई–मेल आई.डी. जांचें। टेण्डर्स साइट पर लॉग–इन करें तथा जांच के लिए "Edit Profile" पर जायें। आप ई–मेल आई.डी. बदल सकते हैं।

16. क्या मैं अपनी पंजीयन सूचनायें अद्यतन कर सकता हूँ?

हाँ! टेण्डर्स होमपेज पर लॉग–इन करके जब भी आप चाहें, के "Edit Profile" Click करके सूचनाओं को अद्यतन कर सकते हैं।

17. क्या मेरी सूचनाओं की गोपनीयता सुरक्षित है?

आप द्वारा प्रदत्त सूचनायें पूरी तरह सुरक्षित हैं। विभाग द्वारा यह सूचनायें केवल मूल्यांकन ओर सिस्टम विशिष्टीकरण करने हेतु उपयोग की जाती हैं।

18. मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई निविदा प्रकाशित हुई है?

ई–टेण्डरिंग सिस्टम पर पंजीयन के उपरान्त आप अपने एकाउन्ट में लॉग–इन करके नियमित रूप से निविदाओं से सम्बन्धित सूचना पा सकते हैं। निविदा–सूचनाओं के प्रकाशन के सम्बन्ध में आप मेल नोटीफिकेशन भी पायेंगे।

19. क्या मैं निविदा से सम्बन्धित रेखा–चित्र डाउनलोड कर सकता हूँ?

रेखा–चित्र (Drawing) निविदा–प्रपत्र का ही अंग हैं। निविदा प्रपत्र डाउनलोड करते समय, ये रेखा–चित्र भी डाउनलोड हो जाते हैं।

20. निविदा से सम्बन्धित रेखा–चित्र मैं किस प्रकार देख सकता हूँ?

रेखा–चित्र निविदा प्रपत्र का अंग है। निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के उपरान्त आप रेखा–चित्रों को, जोकि कई भागों में हो सकती है, को सन्दर्भित कर सकते हैं। इन भागों को, निविदा प्रपत्र में दिये निर्देशानुसार चिपकाया जा सकता है और पूरे रेखा–चित्र को देखा जा सकता है।

21. मैं एक निविदादाता हूँ। मैं ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म पर कैसे पंजीकरण कराऊँ?

ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीयन अत्यन्त सरल है। टेण्डर्स पृष्ठ पर जाकर, हमारे पंजीयन– प्रपत्र को भर दें। ई–टेण्डरिंग हेतु आपका आई.डी. प्रदान कर देंगे।

22. मैं अपनी फर्म का स्वामी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ और मैं अपनी फर्म को ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करने हेतु पंजीकृत कराना चाहता हूँ।

फर्म के नाम पर पंजीकरण करते समय ध्यान रहे कि आन लाईन इनरोलमेंट फार्म पर यूजर टाइप Individual न चुनकर Corporate चुनें व आगे की प्रक्रिया यूजर मैन्यूअल के अनुरूप करें। इस प्रक्रिया में डिजिटल टोकन आपका ही लिया जायेगा।

23. मैं ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म पर पंजीयन कर रहा हूँ परन्तु मेरा पासवर्ड कम्प्यूटर ले नहीं रहा है।

पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि पासवर्ड में कम से कम 08 व अधिकतम 32 अक्षर हो सकते हैं जिसमें कम से कम एक Capital Letter (A-Z) एक Small Letter (a-z) व एक Letter (!,@,#,$,%,^,&,*,<,-) होने आवश्यक हैं।

24. मेरे पास केवल एक ई–मेल आई.डी. है। क्या ई–प्रोक्योरमेण्ट में पंजीयन हेतु 2 ई–मेल का होना आवश्यक है।

हाँ। ई–प्रोक्योरमेण्ट में पंजीकरण हेतु दो मेल आई.डी. होना अति आवश्यक है। मेल आई.डी. किसी भी मेल सर्विस प्रोवाइडर (gmail, yahoo, hotmail आदि) में बिना किसी शुल्क के बनाने की सुविधा है।

25. मैंने पंजीयन करते समय एक पासवर्ड बना लिया था परन्तु ई टोकन रजिस्टर पंजीयन करते समय पुनः पासवर्ड मांग रहा है। कौन सा पासवर्ड देना है?

ई–टोकन पंजीकरण करते समय जो पासवर्ड मांगा जाता है वह आपके द्वारा बनाये पासवर्ड से भिन्न है। यह पासवर्ड ई–टोकन लेते समय दिया जाता है।

26. मैं ई–प्रोक्योरमेण्ट में टेण्डर बिल डालना चाहता हूँ। मुझे यूजर आई.डी. (User I.D.) एवं पासवर्ड कहाँ से व कैसे प्राप्त होगा?

ई–प्रोक्योरमेण्ट में टेण्डर बिड डालने के लिए आपको https://etender.up.nic.inपर अपने को या अपनी फर्म को पंजीकृत करना होगा।

27. मैंने ई-प्रोक्योरमेण्ट में टेन्डर डाल दिया है लेकिन मैं उस बिड में परिवर्तन या वापिस लेना चाहता हूँ।

बिड की अन्तिम तारीख के पूर्व आप अपनी बिड वापस भी ले सकते हैं व उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं।

28. हमें ई-प्रोक्योरमेण्ट पर कार्य करने के लिए किस प्रकार के कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी?

कम्प्यूटर लाइनेक्स, एक्सपी या उच्च आपरेटिंग सिस्टम, एण्डीवायरस के साथ होना चाहिए

1 इन्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 5.5 या अधिक
2 वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट
3 ब्राडबैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन
4 प्रिन्टर
5 यूपीएस
6 जावा लेटेस्ट वर्जन जो कि वेब पोर्टल http://etender.up.nic.in के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। (link-http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html)

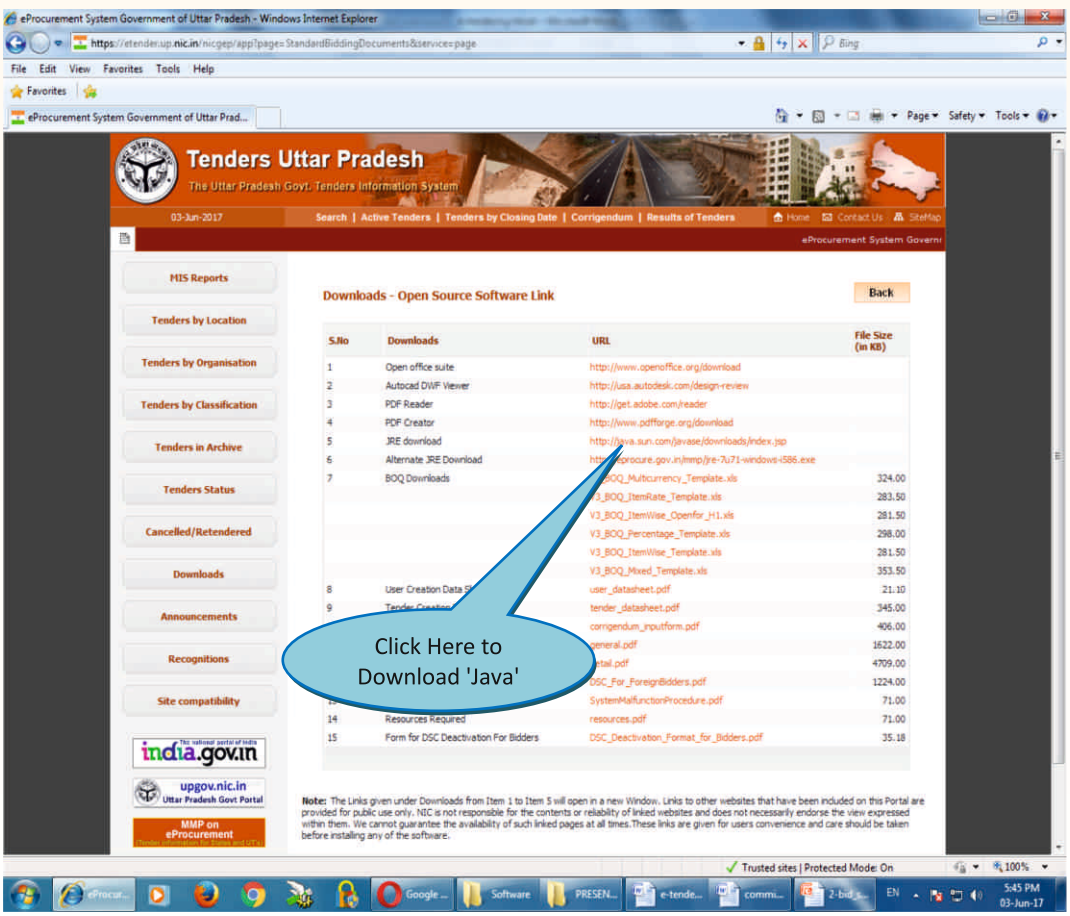

अध्याय 9 : डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

1. डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र (DSC) क्या है ?

डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र भौतिक हस्ताक्षर अथवा पेपर प्रमाण–पत्र का डिजिटल स्वरूप है। पासपोर्ट, सदस्यता प्रपत्र (Membership Cards), ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि भौतिक प्रमाणपत्रों के उदाहरण हैं। प्रमाण–पत्र किन्हीं विशिष्ट कार्यों के लिए किसी व्यक्ति विशेष की पहचान के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जैसेकि एक ड्राइविंग लाइसेन्स ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो किसी देश विशेष में वाहन चलाने हेतु विधिक रूप से अधिकृत है। इसी प्रकार इन्टरनेट पर सूचनाओं अथवा सेवाओं तक पहुँच के लिए अथवा कतिपय अभिलेखों पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षरों हेतु डिजिटल सिग्नेचर को आपकी पहचान के लिए डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है

2. डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र (DSC) की क्यों आवश्यकता है ?

जिस प्रकार भौतिक अभिलेखों पर मानवीय रूप से हस्ताक्षर कर किया जाता है, उसी प्रकार, उदाहरणस्वरूप 'ई–फार्म्स' पर डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र का प्रयोग करके डिजिटल हस्ताक्षर किया जाता है। इन्टरनेट के माध्यम से किये गये इस प्रकार के कार्य–व्यवहार (Transaction), यदि डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र द्वारा हस्ताक्षरित हैं, तो कानूनी रूप से विधिमान्य हैं।

3. डिजिटल सिग्नेचर किसके द्वारा जारी किये जाते हैं ?

कोई भी लाइसेन्सधारी प्रमाणक अभिकरण (Certifying Authority) डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत है। डिजिटल प्रमाण–पत्र प्रदाता अभिकरण का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे डिजिटल प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 की धारा 24 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान किया गया हो।

4. विभिन्न प्रकार के कौन–कौन से डिजिटल सिग्नेचर ई–टेण्डरिंग कार्य के लिये विधिमान्य हैं ?

विभिन्न प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर निम्नवत् हैं:–

Class-2 इस प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर हेतु व्यक्ति विशेष की पहचान का सत्यापन विश्वसनीय, पूर्व सत्यापित/प्रमाणित अभिलेखों के डाटाबेस से किया जाता है।

Class-3 यह सर्वोच्च श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर है जिसमें व्यक्ति–विशेष को रजिस्टर करने वाले अधिकारी (Registration Authority) के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी पहचान सत्यापित/प्रमाणित करना होता है।

5. ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर ई–फाईलिंग हेतु किस प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है ?

ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर ई–फाईलिंग हेतु लाइसेन्सधारी प्रमाणक अभिकरण (Certifying Authority) से क्लास–2 एवं क्लास–3 श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जाने की आवश्यकता होगी।

6. प्राप्त किये जाने वाले डिजिटल सिग्नेचर का अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

चूँकि डिजिटल सिग्नेचर प्रदान करने हेतु कई संस्थायें हैं, अतः उनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले डिजिटल सिग्नेचर का मूल्य अलग–अलग हो सकता है। अनुमानित लागत उनकी वैधता–अवधि (जितने वर्षों के लिए जारी किये जा रहे हों) के अनुसार लगभग रू 2000–3000 के मध्य होनी चाहिये।

7. शासकीय विभागों के अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं ?

विभागीय अधिकारियों द्वारा, कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार से अधिकृत किसी भी लाइसेन्सधारी प्रमाणक अभिकरण (Certifying Authority) से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जा सकते हैं। सुविधा के लिए वेन्डर्स की सूची निम्नवत् प्रदर्शित हैं :–

- सेफ–स्क्रिप्ट–चेन्नई
- आई.डी.आर.बी.टी.
- (एन) कोड सॉल्यूशन्स
- ई–मुद्रा,
- कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि.
- एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी
- जी.एन.एफ.सी. आदि

यह सूची अन्तिम (exhaustive) नहीं है। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि डिजिटल सिग्नेचर में उन्हें कुँजी के दो जोड़े (Two Pairs of Keys) – एक हस्ताक्षर हेतु तथा दूसरा इन्क्रिप्शन (encryption) हेतु प्राप्त हुए हैं।

8. निविदादाताओं/ ठेकेदारों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं ?

निविदादाताओं/ठेकेदारों द्वारा भी भारत सरकार से अधिकृत किसी भी लाइसेन्सधारी प्रमाणक अभिकरण से डिजिटल सिग्नेचर (e-Tokens) प्राप्त किये जा सकते हैं। सुविधा के लिए वेन्डर्स की सूची बिन्दु संख्या–7 में प्रदर्शित है।

9. डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र प्राप्त होने में कितना समय लग जाता है ?

विभिन्न अभिकरणो के मामले में यह अवधि अलग–अलग हो सकती है। डिजिटल सिग्नेचर प्रदाताओं द्वारा लगभग 03 से 07 दिन की अवधि में डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

10. डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि कितनी होती है ?

डिजिटल सिग्नेचर प्रदाता, एक वर्ष अथवा दो वर्ष की वैधता अवधि के साथ डिजिटल सिग्नेचर निर्गत करने हेतु अधिकृत हैं। डिजिटल सिग्नेचर की अधिकतम वैधता अवधि मात्र 02 वर्ष की होती है, जिसके पश्चात पुनः निर्धारित शुल्क का भुगतान कर उसे नवीकृत कराया जा सकता है।

11. डिजिटल सिग्नेचर की विधिक दृष्टि से क्या अनुमन्यता है ?

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 के अन्तर्गत डिजिटल सिग्नेचर, न्यायालयों में विधिक रूप में ग्राह्य (Admissible) है।

12. क्या ई–टेण्डरिंग हेतु किसी कम्पनी द्वारा स्वयं के नाम से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है ?

कम्पनियों के द्वारा स्वयं के नाम से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु व्यक्तिगत रूप से ही डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ किसी कम्पनी की ओर से डिजिटल हस्ताक्षर हेतु उसके निदेशक अथवा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किया जाना होगा।

13. क्या मैं बिना डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर ई–फाईलिंग कर सकता हूँ ?

नहीं, ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर ई–फाईलिंग हेतु डिजिटल सिग्नेचर का होना अनिवार्य है।

अध्याय 10 : टेण्डर क्रियेशन के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

1. नोडल अधिकारी से क्या अभिप्राय है ?

नोडल अधिकारी वह प्रमुख कर्मी है, जिसके द्वारा अपने सरकारी विभाग/संगठन में ई–टेण्डरिंग परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। उसके द्वारा अपने संगठन में यूजर्स बनाये जाते हैं और वह यूजर्स के प्रबन्धन हेतु समग्र रूप से उत्तरदायी होता है।

2. यूजर्स किसके द्वारा बनाये जायेंगे ?

प्रदेश के अन्दर, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा अपने विभाग के लिए यूजर्स बनाये जायेंगे जिनकी भूमिका आवश्यकतानुसार टेण्डर क्रिएटर, टेण्डर पब्लिशर, टेण्डर ओपनर तथा टेण्डर एवैल्युएटर के रूप में होगी ?

3. भूमिका से क्या तात्पर्य है ?

भूमिका का तात्पर्य किसी व्यक्ति को दिये गये वे कार्य हैं जो अधिकारिक कर्तव्यों के अन्तर्गत उसके द्वारा सम्पादित किये जाने अपेक्षित हों। उस व्यक्ति को दिये गये कार्य टेण्डर क्रिएटर, टेण्डर पब्लिशर, टेण्डर ओपनर तथा टेण्डर एवैल्युएटर इत्यादि के रूप में हो सकते हैं।

4. टेण्डर क्रिएटर से क्या अभिप्राय है ?

टेण्डर क्रिएटर वह कर्मी है, जिसे टेण्डर क्रिएशन का कार्य दिया गया है। इस भूमिका वाले यूजर द्वारा टेण्डर निर्माण किया जायेगा।

5. टेण्डर पब्लिशर से क्या अभिप्राय है ?

टेण्डर पब्लिशर वह कर्मी है जिसके द्वारा, प्रकाशित किए जा रहे टेण्डर की शुद्धता (correctness) का सत्यापन किया जायेगा और उसे टेण्डर प्रकाशक की भूमिका दी गई है।

6. टेण्डर ओपनर से क्या अभिप्राय है ?

टेण्डर ओपनर वह कर्मी है जिसके द्वारा, निविदा के सापेक्ष प्राप्त होने वाली तकनीकी और वित्तीय – दोनों पैकेट्स ई–टेण्डर पोर्टल से खोले/decrypt किये जायेंगे।

7. टेण्डर एवैल्यूटर से क्या अभिप्राय है ?

टेण्डर एवैल्यूटर वह कर्मी है जिसके द्वारा, निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सार–संक्षेप को ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

8. यूजर क्रिएशन हेतु अनुरोध के लिए नोडल आफिसर को कैसे सम्पर्क करूँ ?

समस्त नोडल अधिकारियों के नाम और सम्पर्क हेतु विवरण, पोर्टल के 'होम पेज' पर प्रदर्शित हैं और यूजर क्रिएयन हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।

9. मेरे सहकर्मियों द्वारा सृजित टेण्डर जो मुझे प्रकाशित करने हैं, मेरे मेनू (Menu) में नहीं दिख रहे है ? मैं इन टेण्डर्स को कैसे देख/प्रकाशित कर सकता हूँ?

टेण्डर प्रकाशन के लिए आपका वही स्तर (संगठन/विभाग/खण्ड/उपखण्ड) होना चाहिए जोकि आपके सहकर्मी का है। यदि टेण्डर नहीं दिख रहे हैं तो उसका कारण यूजर्स के स्तर में भिन्नता हो सकती है। अपने नोडल अधिकारी को सम्पर्क करें और सम्बन्धित स्तर से स्थानान्तरण द्वारा इसका निराकरण सुनिश्चित करायें।

10. मेरा नाम मेरे बिड-ओपनर्स सूची में नहीं दिख रहा है, यद्यपि मेरा डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-पत्र/इनक्रिप्शन प्रमाण-पत्र साइट पर नामांकित है। ऐसा क्यों है?

यदि यूजर की भूमिका बिड ओपनर के रूप में है, तो वह बिड ओपनर्स का चयन करने पर प्रदर्शित होगा। तथापि इन्क्रिप्शन सर्टिफिकेट की समाप्ति तिथि की वैधता प्रथम बिड खोले जाने की तिथि से कम से कम 45 दिन होनी चाहिए (the expiry date of encryption certificate should be at least 45 days valid from the 1st Bid opening date), और यूजर का नाम केवल इसी दशा में बिड ओपनर्स की सूची में प्रदर्शित होगा।

11. 2 of 2 बिड ओपनर्स की स्थिति में, किसी एक बिड ओपनर का डिजिटल सिग्नेचर कुँजी खो गई है/किसी कारणवश डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-पत्र का उपयोग decryption के लिए नहीं किया जा सकता। इस स्थिति का सामाना कैसे करूँ।

दोनों डिजिटल सिग्नेचर के बगैर बिड्स को decrypt नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए परामर्श यह है कि सदैव कम से कम 03 अथवा अधिकतम 04 बिड ओपनर्स का विकल्प चुना जाये।

अध्याय 11 : बिड ओपनर के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

1 बिड ओपनर से क्या अभिप्राय है ?

बिड ओपनर, विभाग द्वारा टेण्डर प्रकाशन के समय चयनित वह विभागीय कर्मी है जिसे निविदा के सापेक्ष प्राप्त होने वाली तकनीकी और वित्तीय – दोनों पैकेट्स ई–टेण्डर पोर्टल से खोलने/decrypt करने हेतु अधिकृत किया गया है।

2 बिड ओपनर की भूमिका किसके द्वारा दी जा सकती है अथवा यह भूमिका वापस ली जा सकती है तथा बिड ओपनर की भूमिका प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

विभाग के स्तर पर केवल ई–प्रोक्योरमेण्ट यूजर द्वारा नोडल अधिकारी के साथ ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न भूमिकायें दी जा सकती /वापस ली जा सकती हैं। आप डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध 'यूजर एकाउण्ट क्रिएशन' प्रपत्र भर कर अपने नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

3 टेण्डर क्रिएशन के समय कितने बिड ओपनर्स का चुनाव किया जाये ?

परामर्श यह है कि 2 of 4 बिड ओपनर्स का विकल्प चुना जाये। टेण्डर क्रिएशन प्रक्रिया के दौरान बिड ओपनर्स के रूप में बनी चार कर्मियों की सूची में से किन्ही दो बिड ओपनर्स द्वारा बिड्स खोली जा सकती हैं।

4 बिड ओपनर की भूमिका के लिए किस प्रकार के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी ?

बिड ओपनर की भूमिका के लिए दो प्रकार के प्रमाण–पत्र आवश्यक हैं। पहला 'साइनिंग सर्टिफिकेट', निविदा डाक्यूमेन्ट के डिजिटल हस्ताक्षर हेतु तथा दूसरा 'इन्क्रिप्शन सर्टिफिकेट', निविदादाताओं/ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत टेण्डर्स के इन्क्रिप्शन (encryption) और डिक्रिप्शन (decryption) हेतु। बिड ओपनर की भूमिका के लिए 'इन्क्रिप्शन सर्टिफिकेट' अनिवार्य है।

5 अपने संगठन में बिड ओपनर्स का चयन मैं कैसे करूँ ?

संगठनात्मक पदानुक्रम (organization hierarchy) में आप समान स्तर, तथा एक स्तर ऊपर/नीचे के कर्मियों में से बिड ओपनर्स का चयन कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के दोनों प्रमाण–पत्र 'साइनिंग सर्टिफिकेट' तथा 'इन्क्रिप्शन सर्टिफिकेट' के विवरण ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये होंगे (mapped both certificates) और उन प्रमाण–पत्रों की वैधता अवधि समाप्त न हुई हो, उनके नाम सूची में प्रदर्शित होंगे।

6 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के नवीनीकरण पर क्या टोकेन को इनीशियलाइज किया जाना चाहिए?

नहीं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को किसी भी प्रकार इनीशियलाइज नहीं किया जाना चाहिए। यदि इनीशियलाइज किया गया तो दोनों प्रमाण–पत्र टोकेन से हट जायेंगे। इसके फलस्वरूप, किसी पुरानी निविदा को जिसमें आप एक बिड ओपनर के रूप में चयनित हैं, आप खोल / decrypt नहीं कर सकेंगे।

7 यदि टेण्डर क्रिएशन के समय बिड ओपनर का नाम बिड ओपनर्स की सूची में प्रदर्शित न हो रहा हो तो क्या करें?

निम्न सम्भावनाओं का परीक्षण करें :–

- देखें कि 'इन्क्रिप्शन सर्टिफिकेट' का विवरण ई–टेण्डर पोर्टल पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है।
- यदि बिड ओपनर्स का स्तर समान है तो वह स्वतः प्रदर्शित होगा।
- डिफाल्ट बिड ओपनर्स की सूची में, भिन्न स्तर वाले बिड ओपनर का नाम सम्मिलित किये जाने हेतु यूजर डैशबोर्ड में संगठनात्मक पदानुक्रम मास्टर का उपयोग करते हुए सूची में सम्बन्धित विवरण दिया जाना होगा। (Bid openers from other levels are to be mapped in the list of default bid openers using the Organization hierarchy master available on user dashboard)
- इन्क्रिप्शन सर्टिफिकेट की समाप्ति तिथि की वैधता प्रथम बिड खोले जाने की तिथि से कम से कम 45 दिन होनी चाहिए (the expiry date of encryption certificate should be at least 45 days valid from the 1st Bid opening date), और यूजर का नाम केवल इसी दशा में बिड ओपनर्स की सूची में प्रदर्शित होगा।

8 डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि कितनी होती है ?

डिजिटल सिग्नेचर प्रदाता, एक से दो वर्ष की वैधता अवधि के साथ डिजिटल सिग्नेचर निर्गत करने हेतु अधिकृत हैं। वर्तमान में डिजिटल सिग्नेचर की अधिकतम वैधता अवधि मात्र 02 वर्ष है।

Capacity Building Measures

24 X7 Telephonic Help Desk facility is available

Daily Web Learning facility is available on different topics of e-Procurement at **http://webcon.nic.in**

Dedicated Email Support for any Technical queries related to Operation is available (Email ID **support-eproc@gov.in / cppp-nic@nic.in**)

Regular Class Room based training at NIFM, Faridabad as part of Management Development Programme on Public Procurement

On site comprehensive training by NIC experts for Department/Organisation implementing eProcurement in project mode.

e-Mail - **support-eproc@gov.in**

24*7 Help Desk Number

+91 8826246593

0120 - 4200462
0120 - 4001002

Govt. eProcurement System of National Informatics Centre (GePNIC) 17

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमाणीकरण संस्थाओं में से किसी एक से डिजिटल प्रमाण–पत्र (डिजिटल सर्टिफिकेट) प्राप्त किया जा सकता है

क्रमांक	प्रमाणीकरण एजेन्सी का नाम	वेबसाइट का पता	फोन न.
1	सैफ स्क्रिप्ट	www.sifycorp.com	+91-044-22540770
2	(एन) कोड साल्यूशन सी ए	www.ncodesolutions.com	+91 79 40007334
3	आई डी आर बी टी	idrbtca.org.in	91-40-23294002
4	कैप्रिकॉर्न सी ए	www.certificate.digital	011-4244 8288
5	एन एस डी एल (e-Gov) सी ए	www.egov-nsdl.co.in	022 40904242/ 40904232
6	ई–मुद्रा सी ए	www.e-mudhra.com/	+91 80 4336 0000

नोडल एजेन्सी

यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

10, अशोक मार्ग, लखनऊ

दूरभाष : 0522-4130303, 2286808, 2286809, फैक्स : 0522-2288583

वेबसाइट : www.uplc.in

तकनीकी एजेन्सी

नेशनल इन्फारमेटिक सेंटर, लखनऊ

वेबसाइट : https://etender.up.nic.in

(Tenders Uttar Pradesh)